माननीय न्यायमूर्ति बी. आर. तुली और पी. एस. पट्टर के समक्ष

मेसर्स हनुमान डैल एंड जनरल मिल्स, हिसार, याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

1974 का सी.डब्ल्यू. नंबर 3274

1974 का सीएम नंबर 9010।

8 नवंबर, 1974।

पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम (पंजाब संशोधन अधिनियमों द्वारा यथा संशोधित 1961 का पंजाब अधिनियम 23, 1969 का 25, 1973 का 28 और 1974 का 30, 1969 के हरियाणा संशोधन अधिनियम 18, 1973 का 21, 1974 का 10 और 1974 का 17) - धारा 23 - संविधान

भारत सरकार (1950)-अनुच्छेद 213 और 254-अनुच्छेद 254(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम - समवर्ती सूची में प्रगणित न किए गए उसके उपबंधों से संबंधित ऐसे अधिनियम का संशोधन- क्या इसके प्रवर्तन के लिए राष्ट्रपति की सहमति की भी आवश्यकता है - धारा 23 के अधीन विपणन समितियों और विपणन बोर्ड द्वारा प्रभारित शुल्क- क्या शुल्क के भुगतानकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत के साथ सह-संबंध होना चाहिए - इस प्रकार एकत्र की गई फीस - क्या विशेष रूप से इसके भुगतानकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए - पंजाब और हरियाणा राज्यों में पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम में विभिन्न संशोधनों द्वारा की गई बाजार शुल्क में वृद्धि - क्याअनुचित और अत्यधिकहै।

अभिनिर्धारित किया की भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 और 254 को पढ़ने से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि किसी अधिनियम को अधिनियमित किया जाता है, तो समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से किसी एक के संबंध में कोई प्रावधान होता है, जो संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून या उस मामले के संबंध में मौजूदा कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल है, फिर राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। तत्पश्चात्, यदि उस अधिनियम का कोई

उपबंध, जो समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी विषय से संबंधित नहीं है, में संशोधन करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

आगे अभिनिर्धारित किया कि फीस विभिन्न प्रकार की हैं और एक परिभाषा तैयार करना संभव नहीं है जो सभी मामलों पर लागू होगा। हालांकि, इस तरह से चार्ज की गई फीस की राशि का प्रदान की गई सेवाओं की लागत के साथ उचित संबंध होना चाहिए या फीस के भुगतानकर्ताओं को प्रदान किया जाना चाहिए। एक सटीक सहसंबंध होना असंभव है और इसलिए, अपेक्षित सहसंबंध सामान्य चरित्र का होना चाहिए न कि अंकगणितीय सटीकता का। इसके अलावा, इस तरह से एकत्र की गई फीस को विशेष रूप से शुल्क के भुगतानकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए खर्च नहीं किया जाना है। उनका उपयोग अधिनियम के उन उद्देश्यों या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है जिनके तहत वे लगाए जाते हैं। तथापि, उनका उपयोग उन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता जिनका अधिनियम के मुख्य प्रयोजनों से कोई संबंध नहीं है जिनके लिए शुल्क लगाया जाता है।

आगे अभिनिर्धारित किया की पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 27 में विधायिका का जनादेश यह है कि बाजार समिति निधि का उपयोग अधिनियम के तहत या प्रयोजनों के लिए व्यय करने के लिए किया जाना है और उसके बाद शेष किसी भी अतिरिक्त को ऐसे तरीके से निवेश किया जाना है जो निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक बाजार समिति को अपनी आय का कुछ प्रतिशत कृषि विपणन बोर्ड को देना होता है ताकि बोर्ड की कार्यालय स्थापना के लिए व्यय और उसके द्वारा किए गए ऐसे अन्य खर्चों को आम तौर पर बाजार समिति के हित में वहन किया जा सके और राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियोजित किसी विशेष या अतिरिक्त कर्मचारी की लागत का भुगतान भी राज्य सरकार को करना होगा।

आगे अभिनिर्धारित किया की अधिसूचित बाजार क्षेत्र में अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए समिति। अन्य उद्देश्य जिनके लिए बाजार समिति की धनराशि खर्च की जा सकती है, अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित हैं। चूंकि अधिनियम की संशोधित धारा 23, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है, केवल अधिकतम सीमा निर्धारित करती है जिसके भीतर बाजार समितियां, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त डीलरों से वसूल किए जाने वाले शुल्क को निर्धारित कर सकती हैं, इसलिए हरियाणा राज्य में अधिकतम शुल्क की राशि को बढ़ाने वाले विभिन्न संशोधन अधिनियमों द्वारा किए गए उस धारा के संशोधनों को रद्द करना संभव नहीं है। मार्केट कमेटियों के सुधार के लिए शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं और गोदामों के निर्माण के लिए पहले से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए आवश्यक धन को देखते हुए,

हरियाणा में दो रुपये प्रति एक सौ रुपये की दर से शुल्क लगाना उचित और व्यवस्थित है। तथापि, पंजाब राज्य के बाजारों का मामला भिन्न है। उन्हें विधानमंडल द्वारा अधिनियम की संशोधित धारा 23 में निर्धारित शुल्क लेना होगा। लचीलेपन की कोई गुंजाइश नहीं है। शुल्क की राशि विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है और यह प्रत्येक बाजार समिति पर नहीं छोड़ा गया है कि वह निर्धारित सीमा के भीतर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शुल्क लगाए। पंजाब राज्य में, सरकार ने बाजार समितियों को कतिपय संस्थाओं या परियोजनाओं को सार्वजनिक महत्व के रूप में नामित करने का निर्देश दिया है और बाजार समितियों और विपणन बोर्ड को इसमें अनिवार्य योगदान करने का निर्देश दिया है। यह सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है और यह अनधिकृत उद्देश्यों के लिए निधियों के दुरुपयोग के समान है। अत अधिनियम में विभिन्न संशोधनों द्वारा पंजाब राज्य में शुल्क में वृद्धि को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह वृद्धि और कुछ नहीं बल्कि उन बाहरी उद्देश्यों के लिए धन जुटाने की दृष्टि से शुल्क लगाने की शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है जो अधिनियम द्वारा अभिप्रेत नहीं है।

मामले जो खारिज किए गये

(एक) करकरनैलग, सिंघिक दोआड आदि 1बनाम पंजाब राज्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संशोधित याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उत्प्रेषण, परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की रिट जो उन्होंने 1974 के हरियाणा अध्यादेश संख्या 2, दिनांक 13 अप्रैल, 1974 और हरियाणा अधिनियम संख्या 2 को रद्द करते हुए जारी की है। 1974 की धारा 17 और प्रतिवादी 2 और 3 द्वारा उसके तहत की गई कार्यवाही और आगे हरियाणा अधिनियम संख्या 1974 को रद्द करना। 1974 की धारा 10, दिनांक 30 जनवरी, 1974 और हरियाणा अधिनियम सं 1974 (ग) नियम 25 मार्च, 1969 की धारा 23 और उसके अधीन कार्यवाही तथा नियमों के नियम 29 को असंवैधानिक घोषित करना ।

सिविल विविध सं. 9010/74.

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार नियमों के अध्याय 4-एफ के नियम 42 के तहत आवेदन, प्रार्थना करता है कि बोर्ड के अध्यक्ष के पत्र को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जाए और याचिका के निर्णय में विचार किया जाए और आवेदन की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील भाल सिंह मलिक, एडवोकेट पीएस जैन और एडवोकेट आरएल बत्ता ने पैरवी की।

सी. डी. दीवान, अतिरिक्त महान्यायविद (हरियाणा), प्रतिवादियों 1 और 2 की ओर से

एस. के. लांबा, वकील, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

निर्णय

तुली, न्यायमूर्ति_(1) यह निर्णय 211, सिविल रिट का निपटान करेगा याचिकाएं (संख्या 2583, 3268, 3270 से 3274, 3712 से 3720, 3722 से 3729, 3753 से 3757, 3768, 3790, 3913 से 3954, 4205, 4206, 4291 से 4293, 4203, 4303, 4323, 4366, 4376, 4373, 4376, 4372, 4372, 4372, 4372, 3722 से 3729, 3753 से 3757, 3768, 3790, 3913 से 3954, 4205, 4206, 4291 से 4293, 4203, 4203, 4303, 4323, 4366, 4366, 4373, 4373, 4373, 4373, 4373, 4376, 4373, 4373, 4373, 4373, 4373, 4376, 4373, 4373, 4376, 4373, 4376, 4373, 4373, 4373, 4373, 4373, 4373, 4373, 4373, 4376, 4373, 4376, 4373, 4373, 4376, 4373, 4373, 4376, 4373, 4376, 4373, 4373, 4376, 4373, 4376, 4373, 4376, 4373, 4376, 4373, 4376, 4373, 4373, 4376, 4372, 4372, 4376, 4373, 4373, 4376, 4373, 4376, 4372, 4376, 4373, 4376, 4372, 4376, 4373, 4376, 4372, 4376, 4373, 4373, 4376, 4373, 4372, 4376, 4372, 4376, 4372, 437, 437, 438, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 437, 43 4572, 4580, 4584, 4607, 4610, 4617, 4625, 4688, 4692, 4699, 4709, 4717 से 4727, 4730, 4741, 4743, 4775, 4780 से 4782, 4792, 4800, 4800, 4818, 4844, 4865, 4866, 4869, 4870; 4874 से 4885; 4892 4906 तक,

4910, 4911, 4919, 4923, 4924, 4935, 4947, 4962 से 4964, 4967 4972 तक।

4985, 4990, 5002 से 5004, 5007, 5008, 5028, 5029, 5035, 5052, 5053, 5059, 5081, 5084, 5100, 1974 के 5105, 5109, 5113, 5117 और 5122)सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कानून के सवाल शामिल हैं। 127 रिट याचिकाएँ हरियाणा राज्य में बाजार समितियों से संबंधित हैं और 84 याचिकाएँ पंजाब राज्य में बाजार समितियों से संबंधित हैं।(2) कृषि उत्पादक बाजार अधिनियम (1961 का पंजाब अधिनियम 23) जिसे बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया, को 18 मई, 1961 को भारत

के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे 26 मई, 1961 को पंजाब सरकार के राजपत्र (असाधारण), विधायी पूरक में प्रकाशित किया गया और तुरंत लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 23 निम्नानुसार है:-

"धारा 23। एक समिति, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएँ, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में लाइसेंसधारियों द्वारा खरीदे या बेचे गए कृषि उत्पादों पर यथामूल्य आधार पर शुल्क लगा सकेगी, जिसकी दर प्रत्येक एक सौ रुपये के लिए पचास नई पैसे से अधिक नहीं होगी;

बशर्ते कि -

(अ) किसी भी लेनदेन के संबंध में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा जिसमें खरीदे गए या बेचे गए कृषि उत्पाद की डिलीवरी वास्तव में नहीं की गई है; और

(आ) एक शुल्क केवल उस लेनदेन के पक्षों पर लगाया जाएगा जिसमें डिलीवरी वास्तव में की गई है।

इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, बाजार समितियों ने प्रति सौ रुपये पर चालीस नए पैसे का शुल्क लगाया और किसी भी डीलर ने व्यथित महसूस नहीं किया।

(3) हरियाणा सरकार 3 सितंबर, 1969 को लागू हुए पंजाब कृषि उत्पाद बाजार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम (1969 का 28) द्वारा "पचास नए पैसे" के स्थान पर "रुपया" शब्द प्रतिस्थापित किया और उसके बाद राज्य में बाजार समितियों ने उस संशोधन के अनुसार एक रुपये प्रति सौ रुपये की दर से शुल्क लेना शुरू कर दिया। शुल्क की दर में वृद्धि करने के उद्देश्य और कारण निम्नानुसार बताए गए थे -

पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 23 के तहत अधिसूचित बाजारों में खरीदे या बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों के मूल्य के रूप में प्रत्येक 100 रुपये पर पचास पैसे मूल्यानुसार शुल्क प्रदान किया जाता है। बाजार शुल्क बाजार समितियों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विकास उद्देश्यों के लिए बाजार समिति के धन का बढ़ता उपयोग करने के लिए, यह आवश्यक है कि बाजार समितियों के संसाधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। मंडियों में आने वाली रबी उपज पर न्यूनतम बाजार शुल्क को बढ़ाकर एक रुपये करना नितांत आवश्यक समझा गया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक अध्यादेश की घोषणा पर न्यूनतम बाजार शुल्क में वृद्धि की गई थी। पंजाब कृषि उपज मंडी (हरियाणा संशोधन) जिसे अब पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 में संशोधन करके प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

इसके बाद, पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम (1973 का 21) द्वारा, "प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उपज के मामले को छोड़कर" शब्द को "प्रदान करें" शब्दों के बाद जोड़ा गया। यह संशोधन इन मामलों में शामिल कानून के बिंदुओं के निर्णय के लिए सामग्री नहीं है। पंजाब कृषि उपज मंडी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम (1974 का 10), जो 30 जनवरी, 1974 को लागू हुआ था, द्वारा अधिनियम की धारा 23 में "एक रुपये और पचास पैसे" शब्दों के स्थान पर "एक रुपया" शब्द प्रतिस्थापित किया गया था। वृद्धि के उद्देश्य और कारण निम्नानुसार बताए गए थे -

वर्तमान में कृषि के मूल्य के रूप में प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये का मूल्यानुसार शुल्क प्रदान किया जाता है।

पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 23 के तहत अधिसूचित बाजार समितियों में उपज खरीदी और बेची गई। बाजार समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिवहन के लिए सड़कों के विकास, कृषि उपज के भंडारण के लिए गोदामों की स्थापना और अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में उत्पादकों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसलिए बाजार समितियों के संसाधनों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बाजार शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर डेढ़ रुपये कर दिया गया है।

वास्तव में, इस संशोधन अधिनियम के अनुसरण में बाजार समितियों द्वारा कोई शुल्क नहीं बढ़ाया गया था क्योंकि शुल्क की दर में वृद्धि नहीं की गई थी; कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नियोजित विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसलिए इस दर को बढ़ाकर दो रुपये प्रति सौ रुपये करने का सुझाव दिया गया। यह वृद्धि 1974 के पंजाब कृषि उपज हरियाणा संशोधन अध्यादेश 2 द्वारा अधिनियम की धारा 23 में की गई थी, जो 13 अप्रैल, 1974 को लागू हुआ था। इसके बाद, इस अध्यादेश को पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम (1974 की संख्या 17) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 23 जुलाई, 1974 को लागू हुआ। वृद्धि के उद्देश्य और कारण निम्नानुसार बताए गए थे -

वर्तमान में पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 23 के तहत अधिसूचित बाजार समिति में खरीदे और बेचे गए एक सौ रुपये मूल्य के कृषि उत्पादों पर डेढ़ रुपये का मूल्यानुसार शुल्क प्रदान किया जाता है। बाजार समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिवहन के लिए सड़कों के विकास, कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदामों की स्थापना और अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में उत्पादकों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसलिए बाजार समितियों के संसाधनों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत उक्त बाजार शुल्क को डेढ़ रुपये से बढ़ाकर दो रुपये कर दिया गया है।

इसका परिणाम यह हुआ कि अधिनियम की धारा 23 में शुल्क की अधिकतम दर एक सौ रुपये के बदले दो रुपये निर्धारित की गई है। विपणन बोर्ड ने प्रत्येक बाजार समिति को उस दर पर शुल्क लेने का निर्देश दिया है। शुल्क की दर को एक रुपये से बढ़ाकर एक रुपये पचास पैसे और फिर दो रुपये करने को रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है जो हरियाणा राज्य से संबंधित हैं।

(4) अधिनियम की धारा 23 में राज्य सरकार द्वारा इस अंतर के साथ संशोधन किया गया था कि हरियाणा राज्य में दो रुपये के स्थान पर अब पंजाब राज्य में दो रुपये पच्चीस पैसे प्रति एक सौ रुपये का शुल्क लिया जाएगा। पंजाब कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम (1969 की संख्या 25) द्वारा पचास नया पैसे से एक रुपये तक की वृद्धि की गई थी, जिसने अधिनियम की धारा 23 में संशोधन किया ताकि 22 मई से "पचास नए पैसे से अधिक की दर पर" शब्दों के स्थान पर "एक रुपये की दर से" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके। पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम (1973 का 28) द्वारा 30 अप्रैल, 1973 से शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर एक रुपये पचास पैसे कर दिया गया और 30 अप्रैल, 1974 से पंजाब कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश (1974 की संख्या 4) द्वारा एक रुपये पचास पैसे से बढ़ाकर दो रुपये और बीस पैसे कर दिया गया। उस अध्यादेश को पंजाब कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम (1974 का 13) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो 20 अगस्त, 1974 को लागू हुआ था। पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम (1973 की संख्या 28) को अधिनियमित करने के उद्देश्य और कारण निम्नानुसार बताए गए थे: –

उत्पादकों को बेहतर विपणन के लिए अपनी उपज को निकटतम बाजारों में लाने की सुविधा के लिए, गांवों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले बाजार शुल्क की दर को एक रुपये से बढ़ाकर एक रुपये और पचास पैसे प्रति सौ रुपये प्रति एकड़ कृषि उपज करना समीचीन समझा जाता है।

पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम (1974 की संख्या 13) को अधिनियमित करने के उद्देश्य और कारण निम्नानुसार व्यक्त किए गए थे: –

--- ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सड़कें, पुलिया और पुल प्रदान करना ताकि उन्हें राज्य के विभिन्न बाजारों से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सके ताकि उत्पादक को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, और अधिनियम की धारा 28 के तहत परिभाषित अन्य विभिन्न उद्देश्य,

विभिन्न संशोधन अधिनियमों द्वारा शुल्क की दर में की गई इन वृद्धि को पंजाब राज्य में बाजार समितियों से संबंधित रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

(5) याचिकाकर्ताओं द्वारा पहला आधार यह था कि अधिनियम को 1961 में अधिनियमित करते समय राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया था और उस अधिनियम के किसी भी प्रावधान में प्रत्येक संशोधन संविधान के अनुच्छेद 213 और 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्रभावी किया जा सकता है। चूंकि उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित नहीं थे, इसलिए वे अमान्य और अप्रवर्तनीय हैं। इस निवेदन के समर्थन में इस न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय पर करनैल सिंह दोआड पंजाब राज्य और अन्य आदि में भरोसा किया गया है। बहुत। (1)। यह मामला 1970 के पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश संख्या 7 द्वारा अधिनियम की धारा 3 में संशोधन से संबंधित था, जिसे 11 सितंबर, 1970 को पंजाब सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था और उस तारीख को लागू किया गया था। उस संशोधन द्वारा, विपणन बोर्ड के संविधान को बदल दिया गया था। इससे पहले, 2 अप्रैल, 1970 के एक आदेश द्वारा, उस समय मौजूद बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था और उस बोर्ड के उन्मूलन को उस रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी। अध्यादेश की घोषणा के बाद, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार विपणन बोर्ड का पुनर्गठन किया। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि अध्यादेश निष्क्रिय था, क्योंकि इसके लागू होने से पहले संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राष्ट्रपति से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक थी क्योंकि मूल अधिनियम, जिसके कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद प्रख्यापित किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने इस तर्क को प्रभावी बनाया और कहा कि अध्यादेश, जिसे बाद में एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, असंवैधानिक था और इसलिए अमान्य था और ऑर्डी-लांस की घोषणा के बाद गठित नया बोर्ड, कानून और बोर्ड की नजर में कभी अस्तित्व में नहीं आया था, जिसे समाप्त कर दिया गया था। यह क्षेत्र पहले याचिकाकर्ता करनैल सिंह दोद के अध्यक्ष के रूप में अस्तित्व में बना रहा। इस संवैधानिक पहलू पर चर्चा करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने मंगतुलाल और राधा शर्मीली और अन्य एक अन्य पर भरोसा किया। स सुप्रीम कोर्ट ने महंत संकर्षण रामानुज दास गोस्वामी उड़ीसा राज्य और अन्य आदि के मामले में सही ठहराया था।

(6) मंगतुला बनाम मामला (सुप्रा) एक संशोधन अधिनियम का मामला था जिसने प्रिंसिपल एक्ट की अवधि को 14 मार्च, 1952 से आगे और 14 मार्च, 1954 तक बढ़ा दिया था। मूल अधिनियम, जिसकी अवधि बढ़ा दी गई थी, को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी क्योंकि इसके कुछ प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (1) के अर्थ के भीतर सातवीं अनुसूची, सूची III, मद 6 में उल्लिखित कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के प्रतिकूल थे। बिना किसी संदेह के इसकी अवधि के विस्तार के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता थी क्योंकि पूरे अधिनियम को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा रहा था और यह नहीं कि इसके किसी भी प्रावधान में कोई संशोधन किया जा रहा था, जो समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित नहीं था।

(7) उड़ीसा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष संकरसन रामानुज दोस (सुप्रा) का मामला उड़ीसा सम्पदा उन्मूलन (संशोधन) अधिनियम (1954 की संख्या 17) से संबंधित है, जिसने उड़ीसा सम्पदा उन्मूलन अधिनियम, 1951 की धारा 2 (जी) में "इनाम संपत्ति" शब्द को "किसी भी इनाम" शब्द से प्रतिस्थापित किया था। वह अधिनियम सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित था और संविधान के अनुच्छेद 31 ए के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता थी। उस मामले में उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि अनुच्छेद 31 ए का लाभ मूल अधिनियम के लिए उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक कानून था, लेकिन संशोधन अधिनियम के लिए नहीं, जो ऐसा कानून नहीं था, लेकिन केवल संपत्ति की परिभाषा का विस्तार करके पिछले कानून में संशोधन किया गया था। इस तर्क को खारिज करते हुए, उनके लॉर्डशिप ने रिपोर्ट के पैरा 12 में कहा: -

"यह मानता है कि अनुच्छेद 31 ए का लाभ केवल उन कानूनों के लिए उपलब्ध है जो स्वयं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करते हैं, न कि ऐसे कानूनों में संशोधन करने वाले कानूनों के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के बावजूद। इसका मतलब यह है कि पूरे कानून, मूल और संशोधन, को फिर से पारित किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, और उनके द्वारा नए सिरे से सहमति दी जानी चाहिए। यह इस देश में विधायी प्रथा के विरुद्ध है। यह माना जाना चाहिए कि राष्ट्रपति ने संशोधन अधिनियम के संबंध में अपनी सहमति दे दी है।

अधिनियम में संशोधन की मांग की गई थी, और यह तब और अधिक है, जब संशोधन कानून द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित पहले कानून के प्रावधानों को नए प्रकार की

संपत्तियों तक विस्तारित करने की मांग की गई थी। ऐसे कानून को मंजूरी देते हुए, राष्ट्रपति ने मौजूदा कानून के संचालन के भीतर लाई जा रही संपत्तियों की नई श्रेणियों को मंजूरी दी, और उन्होंने, वास्तव में, संपत्ति की इन नई श्रेणियों के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक कानून को मंजूरी दी। इस प्रकार संशोधन अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की सहमति ने आवश्यक परिणाम के रूप में अनुच्छेद 31 ए का संरक्षण लाया। संशोधन अधिनियम पर पुराने कानून के संबंध में विचार किया जाना चाहिए, जिसे उसने विस्तारित करने की मांग की थी और राष्ट्रपति ने इस तरह के विस्तार या दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक कानून को मंजूरी दी थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उड़ीसा सम्पदा उन्मूलन (संशोधन) अधिनियम, 1954 ने मूल अधिनियम के उन उपबंधों का विस्तार किया जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित थे और इसलिए यह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 से स्पष्ट रूप से संबंधित था और इसे लागू करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति अपेक्षित थी।

(8) पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रामेश्वर कुमार और अन्य (सुप्रा) का मामला, भूमि अधिग्रहण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1956 से संबंधित है, जिसकी धारा 4 ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 35 के प्रावधानों में संशोधन किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिहार संशोधन अधिनियम ने सीधे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन किया, जो एक मौजूदा कानून था और इसलिए, राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता थी।

(9) मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष अचिया चेट्टी के मामले (सुप्रा) ने बैंगलोर शहर सुधार (संशोधन) अधिनियम (1960 का 13) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसने मूल अधिनियम में धारा 27-ए पेश की - बैंगलोर सुधार अधिनियम (1945 का 5) - शहर में सुधार के प्रयोजनों के लिए मैसूर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि के पूर्वव्यापी अधिग्रहण को मान्य करता है।मूल अधिनियम की धारा 14, 15, 16, 17, 18 या 27 का उल्लंघन। यह माना गया था कि संशोधन अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 254 (2) और संशोधन अधिनियम के अर्थ के भीतर मौजूदा कानून के संबंध में थे।

अनुच्छेद 213 (1) के परंतुक के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित नहीं किया गया था, अमान्य था। यह अधिनियम फिर से सीधे संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित था - यह मामला समवर्ती सूची में उल्लिखित है।

(10) इसलिए, इन निर्णयों का अनुपात विद्वान न्यायाधीश के समक्ष उस मामले पर लागू नहीं किया जा सकता था जो समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित नहीं था।

(11) उत्तरदाताओं की ओर से, श्री दुर्गा राइस और बाबा ऑयल मिल्स कंपनी निदुबरोल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य पर भरोसा किया गया था । और कोटेश्वर विट्टल कामथ रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य श्री दुर्गा राइस एंड बाबा ऑयल मिल्स कंपनी के मामले (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां उस संशोधन के लिए अधिक प्रासंगिक और प्रासंगिक हैं, जिसके साथ विद्वान न्यायाधीश ने करनैल सिंह दोड़ के मामले में निपटा था और हम इन मामलों में काम कर रहे हैं। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह माना गया था कि एक संशोधन अधिनियम को केवल इसलिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मूल अधिनियम को ऐसी सहमति मिली थी। राष्ट्रपति केवल इसलिए राज्य विधानमंडल का अंग नहीं बन जाता है क्योंकि वह अपने विचारार्थ आरक्षित कतिपय विधेयकों पर अपनी सहमति देता है और यह कि प्रत्येक संशोधन राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, भले ही संशोधन में ऐसा कुछ भी शामिल हो जो राष्ट्रपति की सहमति की मांग करता हो या न केवल इसलिए कि मुख्य अधिनियम उसकी सहमति के लिए आरक्षित था। आगे यह भी देखा गया कि -

"अक्सर, राज्य विधानमंडल द्वारा मूल अधिनियम में कुछ प्रावधान हो सकते हैं जो सूची III के तहत आने वाले मामले से निपटते हैं और यह केवल ऐसे विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को उसके और मौजूदा कानून या संसदीय कानून के बीच विवाद की दलील पर चुनौती से बचाने के लिए होता है कि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के उपकरण का सहारा लिया जाता है।

उस मामले में, आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखा गया था क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान थे जो समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों से संबंधित थे। लागू किए गए अधिनियम ने निम्नलिखित के आइटम 5 और 6 में संशोधन किया

आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 की अनुसूची-III (धान चावल) में उन वस्तुओं की गणना की गई है जिनके संबंध में उस अधिनियम की धारा 5(3)(ख) के अंतर्गत केवल एकल बिंदु क्रय कर लगाया जाता है, उस पर देय बिक्री कर को रुपये में 3 नया पैसे से बढ़ाकर 4 नया पैसे कर दिया जाता है। आक्षेपित अधिनियम की वैधता को तीन आधारों पर चुनौती दी गई थी, अर्थात् :-

"(i) यह संविधान के भाग XIII, विशेष रूप से अनुच्छेद 304 (बी) द्वारा विचार ति व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है और, परिणामस्वरूप, यह परंतुक के संरक्षण के भीतर आता है और चूंकि राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी, इसलिए कानून शून्य है;

(२) कि मूल अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, संशोधन अधिनियम तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति नहीं दे दी हो; और

(३) यह कानून एक रंगीन कानून था क्योंकि इस कानून ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 को संशोधित किया है।

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी याचिकाओं पर फैसला किया गया और याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

(12) किन्स कोटेश्वर विट्टल कामथ के मामले में >आर(सुप्रा), त्रावणकोर-कोचीन सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अधिनियम (1950 का 5) की धारा 3 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 304 के खंड (बी) के परंतुक के तहत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। उस विवाद के संबंध में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह टिप्पणी की गई थी :-

उन्होंने कहा, ' राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की शर्त केवल उस कानून से जुड़ी है जो व्यापार, वाणिज्य या संभोग की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। निरसन प्रतिबंध नहीं लगा रहा है और इसलिए अनुच्छेद 304 का परंतुक अधिनियम की धारा 73 के तहत निरसन की वैधता को प्रभावित नहीं करता है यदि निरसन अन्यथा वैध है।

वे टिप्पणियां समय-समय पर शुल्क की दर को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 23 में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने में भी सहायक हैं।

(13) जुगराज vs राजस्थान राज्य, राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश (1955 का 15) की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी जो आवश्यक थी, क्योंकि इसने राजस्थान पंचायत अधिनियम (1953 का 21) के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया था। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह देखा गया था-

उन्होंने कहा, 'लेकिन अध्यादेश द्वारा जिन प्रावधानों में संशोधन किया गया है, उनका समवर्ती सूची के दायरे में आने वाले केंद्रीय विधानमंडल के किसी मौजूदा कानून से कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए, इस संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।

(14) एक अन्य मामले में, के. एन. जोशी बनाम राजस्थान राज्य राजस्थान शहरी सुधार (संशोधन) अध्यादेश (1972) की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी और इसलिए, इसे संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत लागू नहीं किया जा सकता है। इस हमले को पीछे हटाते हुए, यह देखा गया:

उन्होंने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास सातवीं अनुसूची की सूची दो में आने वाले विषय के संबंध में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, भले ही भूमि अधिग्रहण के बारे में प्रावधान वाला मूल कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया हो. लागू किया गया अध्यादेश केवल सुधार ट्रस्ट के गठन से संबंधित है और इसलिए, इस तरह के अध्यादेश पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।

(15) प्रचारित बिंदुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में, मेरा विचार है, और मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, कि विद्वान न्यायाधीश ने यह कहते हुए गलती की कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है, भले ही वह विशेष उपबंध, जो संशोधित किया गया है, वह समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 213 (1) और 254 इन शब्दों में हैं: – "अनुच्छेद 213 (1)। यदि किसी भी समय, सिवाय जब विधायिका

किसी राज्य की विधानसभा का सत्र चल रहा है, या जहां विधानसभा है

किसी राज्य में विधान परिषद, सिवाय इसके कि जब विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं, वह ऐसी व्यवस्था लागू कर सकता है जैसा कि परिस्थितियों में उसे आवश्यकता प्रतीत होती है:

परन्तु राज्यपाल, राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना, ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा, यदि-

(अ) इस संविधान के अधीन समान उपबंधों वाले विधेयक को विधानमंडल में पुरस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होती है;नहीं तो

(आ) उन्होंने राष्ट्रपति के विचारार्थ उन्हीं उपबंधों वाले विधेयक को आरक्षित रखना आवश्यक समझा होगा; या

(इ) इस संविधान के अधीन समान उपबंधों वाले राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम तब तक लागू नहीं किया गयाहोगा जब तक कि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाने के कारण उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो गई हो।

अनुच्छेद 254(1)। यदिकिसी राज्य के विधान द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, या समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों में से किसी एक के संबंध में किसी विद्यमान विधि के किसी उपबंध के अधीन है, तो खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित की गई हो, या, जैसा भी मामला हो, विद्यमान विधि प्रबल होगी और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया लाव/किया गया लाव, प्रतिपक्षेयता की सीमा तक, शून्य होगा।

(दो) यदि समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से किसी एक के संबंध में किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि में ऐसा कोई उपबंध है जो संसद द्वारा बनाई गई पूर्व विधि या उस विषय के संबंध में विद्यमान विधि के उपबंधों के प्रतिकूल है, तो ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया विधि, यदि इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया है और उसे उसकी सहमति प्राप्त हो गई है, तो उस राज्य में प्रबल है:

"परन्तु इस खंड की कोई भी बात संसद को किसी भी समय उसी विषय के संबंध में कोई कानून अधिनियमित करने से नहीं रोकेगी, जिसमें राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या निरस्त करने वाला कानून भी शामिल है।

दोनों, इन अनुच्छेदों में "एक अधिनियम में निहित प्रावधान" शब्दों का उपयोग किया गया था, न कि पूरे अधिनियम का- अनुच्छेद 254 (2) में "समवर्ती सूची में उल्लिखित मामले" शब्दों का भी उपयोग किया गया है। इन दो उपबंधों को पढ़ने से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी अधिनियम को अधिनियमित करते समय समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों में से किसी एक के संबंध में कोई प्रावधान है, जो उस मामले के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई पूर्व विधि या मौजूदा कानून के उपबंधों के प्रतिकूल है, तो राज्य के विधान-

मंडल द्वारा इस प्रकार बनाए गए कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना होगा। इसे लागू करें। तत्पश्चात्, यदि उस अधिनियम का कोई उपबंध, जो समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी विषय से संबंधित नहीं है, में संशोधन करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। केवल अधिनियम के उस प्रावधान के संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी जो समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से एक के संबंध में है। अधिनियम की धारा 3, जैसा कि मूल रूप से 1961 में अधिनियमित किया गया था, समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित नहीं था और इसलिए, मेरी राय में, इसके संशोधन को राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। विद्वान न्यायाधीश का विचार था कि चूंकि अधिनियम के तहत संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति का उपयोग विपणन बोर्ड द्वारा किया जाना था, इसलिए इसके गठन के संबंध में प्रावधान संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित था और इसलिए, समवर्ती सूची में प्रविष्टि 42 से संबंधित था। बड़े सम्मान के साथ, मैं विद्वान न्यायाधीश के साथ खुद को सहमत नहीं पाता हूं। दोहराने के लिए, मैं मानता हूं कि समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से एक के संबंध में उपबंधों वाले किसी अधिनियम के केवल उस उपबंध के संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति अपेक्षित होगी, जो ऐसे किसी मामले से संबंधित है लेकिन यदि यह समवर्ती सूची में प्रगणित नहीं किए गए विषय के संबंध में किसी अन्य उपबंध के संशोधन से संबंधित है, इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि इस बिंदु पर विद्वान न्यायाधीश के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया गया है, इसलिए मैं मानता हूं कि उस मामले का सही ढंग से निर्णय नहीं लिया गया है और इसे खारिज करता हूं।

(16) इन मामलों में याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 304 (बी) के तहत राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक थी क्योंकि शुल्क की दर में वृद्धि कृषि उपज में व्यापार और वाणिज्य के मुक्त प्रवाह को प्रभावित करती है, जिसे राज्य में लाइसेंसधारियों द्वारा बाजार में खरीदा और बेचा जाता है।

अधिसूचित बाजार क्षेत्र जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंसधारक अन्य राज्यों के व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय नुकसान में होंगे। इस दलील को याचिकाओं में विशेष रूप से नहीं लिया गया है और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि अन्य राज्यों में बाजार समितियों द्वारा वसूले जा रहे बाजार शुल्क की दर क्या है, जिसके लिए याचिकाकर्ता व्यापार या प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा, यह ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड राजस्थान राज्य और अन्य, आदि में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप द्वारा आयोजित किया गया है। (11) कि व्यापार सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रतिपूरक कर संविधान के अनुच्छेद 301 द्वारा घोषित स्वतंत्रता से प्रभावित नहीं होते हैं। उनके लॉर्डशिप ने आगे कहा : –

"हमें ऐसा लगता है कि यह तय करने के लिए एक कामकाजी परीक्षण है कि क्या कर प्रतिपूरक है या नहीं, यह जांचना है कि क्या ट्रेडकरने वाले लोग अपने व्यवसाय के बेहतर संचालन के लिए कुछ सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक से अधिक भुगतान नहीं कर रहे हैं। एक सावधानीपूर्वक परीक्षण द्वारा कर की प्रतिपूरक प्रकृति का न्याय करना असंभव होगा, और उन चीजों की प्रकृति में जो नहीं किए जा सकते हैं।

यदि कोई क़ानून राज्य या राज्य की किसी एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा या सेवा के लिए एक शुल्क तय करता है, और इसे उन लोगों पर लागू करता है जो खुद को सेवा या सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुनते हैं, तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को अबाधित माना जा सकता है। ऐसे मामले में अधिरोपण मांगे गए और प्राप्त लाभ के संबंध में लगाए गए पारिश्रमिक या विचार के चरित्र को मानता है।

तर्क की समानता पर, प्रदान की गई सेवाओं और व्यापार करने के लिए प्रदान की गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, यह मानना उचित होगा कि अधिनियम की धारा 23 के तहत बाजार समितियों द्वारा लगाया गया शुल्क प्रतिपूरक है और इसे लागू करने से व्यापार और वाणिज्य में बाधा नहीं आती है और इसलिए, अनुच्छेद 304 (बी) आकर्षित नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 14 का भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि अन्य राज्यों में इस तरह के शुल्क की दर को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। ऊपर दिए गए सभी कारणों से, संशोधन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती को खारिज कर दिया गया है।

(17) सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया गया> टिन; दोनों राज्यों में विपणन ब्यूरो >ने बाजार समितियों को अधिकतम दो रुपये प्रति एक सौ का शुल्क लगाने का निर्देश दिया है।

हरियाणा राज्य में रुपये और पंजाब राज्य में एक सौ के मुकाबले दो रुपये पच्चीस पैसे जो बहुत अधिक और अनुचित है और इसलिए, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत उनके वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन करता है; (l) (च) और (छ) संविधान के अनुच्छेद (च) आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुल्क लगाने को उचित ठहराने के लिए लेन-देन का तत्व, अर्थात, बाजार समितियों द्वारा शुल्क के भुगतानकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, उनसे एकत्र किए गए शुल्क की राशि से संबंधित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि शुल्क के भुगतानकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं की लागत महत्वहीन है या प्रदान की गई सेवाएं उनसे ली गई राशि से बहुत कम मूल्य की हैं, तो शुल्क विधायिका, विपणन बोर्ड और बाजार समितियों द्वारा शुल्क की आड़ में कर लगाने के लिए कर और शक्ति का रंगीन प्रयोग होगा। यहां यह कहा जा सकता है कि हरियाणा राज्य में अधिनियम की धारा 23 केवल अधिकतम शुल्क निर्धारित करती है जो लगाया जा सकता है और यह नहीं कि

इसे लगाया जाना चाहिए। तथापि, पंजाब राज्य में प्रभारित किया जाने वाला शुल्क विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया गया है और बाजार समितियों के पास कम प्रभार लेने का कोई विकल्प नहीं है। निस्संदेह, वे तब तक अधिक शुल्क नहीं ले सकते जब तक कि और संशोधन नहीं किया जाता। मूल रूप से, जब प्रत्येक एक सौ रुपये के लिए पचास नया पैसे अधिकतम शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया था, तो विपणन बोर्ड द्वारा बाजार समितियों को प्रति सौ रुपये पर केवल चालीस नया पैसे लेने का निर्देश दिया गया था। इसी तरह, हरियाणा राज्य का विपणन बोर्ड बाजार समितियों को उस अनुभाग में प्रदान की गई अधिकतम राशि से कम शुल्क लेने का निर्देश दे सकता है। इसलिए, हरियाणा राज्य द्वारा संशोधित धारा को अत्यधिक शुल्क निर्धारित करने के रूप में निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल एक सक्षम प्रावधान है और इसमें किसी भी बाध्यता का प्रावधान नहीं है। तथापि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पंजाब राज्य की स्थिति भिन्न है। दोनों राज्यों में विपणन बोर्ड ने बाजार समितियों को विधायिका द्वारा अनुमत अधिकतम दर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसलिए, हमें यह निर्धारित करना है कि क्या बढ़ी हुई दर पर शुल्क लगाने को शुल्क के रूप में उचित ठहराया जा सकता है और यदि नहीं, तो क्या यह पूरी तरह से अनधिकृत है या अधिनियम के तहत शुल्क के भुगतानकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं के सहसंबंध के आधार पर किसी भी हद तक बचाया जा सकता है। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न यह उठता है कि बाजार समितियों द्वारा प्रभारित शुल्क के बदले में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति क्या है, अर्थात्, क्या उन्हें विशेष रूप से और संपूर्णता में शुल्क के भुगतानकर्ताओं को प्रदान किया जाना है या वसूली गई राशि को उल्लिखित वस्तुओं को पूरा करने के लिए भी खर्च किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 26 और 28।

(18) याचिकाकर्ता के वकील को सर्वोच्च न्यायालय के अपने लॉर्डशिप द्वारा बताई गई "शुल्क" की परिभाषा पर बहुत भरोसा है। आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्त, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री हक्षिमन्द्र तीर्थ स्वामीर, मद्रास, निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है(पैरा 44) :-

" एक 'शुल्क' को आम तौर पर कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की गई विशेष सेवा के लिए शुल्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। लगाए गए शुल्क की राशि सेवा प्रदान करने में सरकार द्वारा किए गए खर्चों पर आधारित मानी जाती है, हालांकि कई मामलों में लागत का मनमाने ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। आमतौर पर, शुल्क एक समान होते हैं और कोई खाता नहीं होता है। का लिया जाता है भुगतान करने के लिए विभिन्न प्राप्तकर्ताओं की अलग-अलग क्षमताएं, -आगे 'सार्वजनिक वित्त' पर लुत्ज़, पृष्ठ

215. ये निस्संदेह कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, लेकिन चूंकि विभिन्न प्रकार के शुल्क हो सकते हैं, इसलिए एक परिभाषा तैयार करना संभव नहीं है जो सभी मामलों पर लागू होगा।

रतिलाल पानाचंद गांधी और अन्य मामले में कर और शुल्क के बीच के अंतर को फिर से सामने लाया गया । बॉम्बे राज्य और अन्य, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन होते हैं (पैरा 22): -

"शुल्क, दूसरी ओर, मुख्य रूप से सार्वजनिक हित में भुगतान है, लेकिन कुछ विशेष सेवा प्रदान करने या उन लोगों के लाभ के लिए किए गए कुछ विशेष काम के लिए जिनसे भुगतान की मांग की जाती है। इस प्रकार फीस में हमेशा 'क्विड प्रोक्को' का एक तत्व होता है जो कर में अनुपस्थित होता है। प्रत्येक मामले में यह साबित करना संभव नहीं हो सकता है कि सरकार द्वारा एकत्र की जाने वाली फीस उन खर्चों के बराबर है जो किसी विशेष प्रकार की सेवाओं को प्रदान करने या कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए किसी विशेष कार्य को करने में उसके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन सरकार द्वारा किए गए संग्रह को शुल्क के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, लगाए गए लेवी और ऐसी सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा किए गए खर्चों के बीच सहसंबंध होना चाहिए। यह यह दिखाकर साबित किया जा सकता है कि विधायी प्रावधान के रूप में, संग्रह को सामान्य राजस्व में विलय नहीं किया जाता है, बल्कि इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए अलग और विनियोजित किया जाता है।

इस प्रकार दो तत्व आवश्यक हैं ताकि भुगतान को शुल्क के रूप में माना जा सके। सबसे पहले, यह लगाया जाना चाहिए। कुछ सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिन्हें व्यक्तियों ने स्वेच्छा से या अनिच्छा से स्वीकार किया और दूसरे स्थान पर, एकत्र की गई राशि को इन सेवाओं को प्रदान करने के खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और सामान्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए खर्च किए जाने वाले राज्य के सामान्य राजस्व में नहीं जाना चाहिए।

यही अवलोकन श्री जगन्नाथ रामानुज दास और अन्य उड़ीसा राज्य और अन्य में भी दोहराए गए थे।।

इंडियन माइका एंड मिकानाइट इंडस्ट्रीज, लिमिटेड vs बिहार राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को व्यापक रूप से निपटाया गया था। बहुत। (15), जिसमें इस विषय पर सभी केस-लॉ पर विचार किया गया था और यह माना गया था कि इससे पहले कि किसी भी लेवी को शुल्क के रूप में बरकरार रखा जा सके, यह दिखाया जाना चाहिए कि लेवी का सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ उचित संबंध था। दूसरे शब्दों में, लेवी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक लाभ उठाने के लिए साबित किया जाना चाहिए ।

लेकिन इन मामलों में एक सटीक सहसंबंध होना असंभव होगा। अपेक्षित सहसंबंध एक सामान्य चरित्र में से एक है और अंकगणितीय सटीकता के रूप में नहीं है।

(20) इनमें से एक मामला हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड और उड़ीसा राज्य अन्य मामलों में से एक था जिसमें पैरा 9 में निम्नलिखित टिप्पणियां दिखाई देती हैं; और रिपोर्ट के भाग :-

"9. यह सच है कि एक कर और एक शुल्क के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है। दोनों सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा धन के अनिवार्य निष्कासन हैं; लेकिन जबकि एक कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है और बदले में प्रदान की गई सेवा के किसी भी विचार द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, एक शुल्क अनिवार्य रूप से प्रदान की गई सेवाओं के लिए लगाया जाता है और इस तरह शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति और इसे लागू करने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच परस्पर लाभ का तत्व होता है।यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र या किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों या किसी स्थानीय क्षेत्र में व्यापार या व्यवसाय को विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और उक्त सेवाओं के लिए एक शर्त के रूप में या उनके बदले में उक्त क्षेत्र या उक्त वर्ग के व्यक्तियों या व्यापार या व्यवसाय के खिलाफ उपकर लगाया जाता है, तो उपकर को कर से अलग किया जाता है और इसे शुल्क के रूप में वर्णित किया जाता है।

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वसूल किया गया कर हमेशा समेकित निधि में जाता है जिसका उपयोग अंततः सभी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि शुल्क के रूप में लगाया गया उपकर समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनता है। यह उन सेवाओं के उद्देश्य के लिए निर्धारित और अलग किया जाता है जिनके लिए यह लगाया जाता है। हालांकि, कर और शुल्क दोनों को लागू करने में बाध्यता का एक तत्व है। जब विधायिका किसी क्षेत्र या व्यक्तियों के किसी वर्ग को विशिष्ट सेवा प्रदान करने का निर्णय लेती है, तो उक्त क्षेत्र या उक्त वर्ग के व्यक्तियों के लिए यह अनुरोध करने का विकल्प नहीं है कि वे सेवा नहीं चाहते हैं और इसलिए उन्हें उपकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए। यद्यपि करदाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच परस्पर लेन-देन का तत्व है, लेकिन सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा प्राप्त करने के मामले में करदाता के पास कोई विकल्प नहीं है। शुल्क के संबंध में, एकत्र किए गए शुल्क और प्रदान की जाने वाली सेवा के बीच सह-संबंध है, और हमेशा होना चाहिए।

ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जिनमें शुल्क लगाने की आड़ में विधायिका कर लगाने का प्रयास कर सकती है; और विधायी शक्ति के इस तरह के रंगीन प्रयोग के मामले में न्यायालयों को लेवी की योजना की बहुत सावधानी से जांच करनी होगी और यह निर्धारित करना होगा कि क्या वास्तव में सेवा और लेवी के बीच कोई

संबंध है या क्या लेवी या तो सेवा के साथ सह-संबंधित नहीं है या इतनी अधिक सीमा तक लगाया जाता है। शुल्क का दिखावा करना न कि वास्तविकता में शुल्क। दूसरे शब्दों में, किसी क़ानून द्वारा लगाया गया कोई विशेष उपकर शुल्क या कर के बराबर है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का सवाल होगा। कर और शुल्क के बीच का अंतर, हालांकि, महत्वपूर्ण है, और इसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तीन सूचियों में कई प्रविष्टियां उपयुक्त विधायिकाओं को कर लगाने का अधिकार देती हैं; लेकिन इस प्रकार प्रदान किए गए करों को लगाने की शक्ति के अलावा, प्रत्येक सूची विशेष रूप से उक्त में शामिल किसी भी मामले के संबंध में शुल्क लगाने की शक्तियों को संदर्भित करती है।

किसी भी अदालत में ली गई फीस को छोड़कर सूची बनाएं। (जोर दिया गया)।

-" —

13. यह सच है कि जब विधायिका किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या व्यक्तियों के एक निर्दिष्ट वर्ग या व्यापार या व्यवसाय के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क लगाती है, तो अंतिम विश्लेषण में ऐसी सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य रूप से जनता के लिए सेवाओं का हिस्सा बन सकती हैं। यदि विशेष सेवा

प्रस्तुत किया गया यह स्पष्ट रूप से और मुख्य रूप से एक निर्दिष्ट वर्ग या क्षेत्र के लाभ के लिए है, तथ्य यह है कि निर्दिष्ट वर्ग या क्षेत्र को लाभान्वित करने में बीटेट अंततः और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकता है, शुल्क के रूप में लेवी के चरित्र से अलग नहीं होगा। जहां, हालांकि, विशिष्ट सेवा सार्वजनिक सेवा से अप्रभेद्य है, और संक्षेप में सीधे 7 टी का एक हिस्सा है, अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे मामले में यह पूछताछ करना आवश्यक है कि लेवी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और आवश्यक उद्देश्य क्या है जिसे एफटी प्राप्त करने का इरादा है। इसके प्राथमिक उद्देश्य और आवश्यक उद्देश्य को इसके अंतिम या आकस्मिक परिणामों या परिणामों से अलग किया जाना चाहिए। लेवी के चरित्र को निर्धारित करने में यही असली परीक्षा है। (जोर दिया गया)।

उस मामले में, विचाराधीन अधिनियम उड़ीसा खनन क्षेत्र विकास निधि अधिनियम (1952 का 27) था, जिसे राज्य में खनन क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से पारित किया गया था। अधिनियम के संचालन का आधार एक खनन क्षेत्र का गठन था और इस प्रकार बनाए गए खनन क्षेत्रों के संबंध में अधिनियम के प्रावधान लागू हुए। अधिसूचित खनन क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान अधिनियम की धारा 4 में किया गया था जिसमें दर्शाया गया था कि अधिनियम की नीति को खान मालिकों और उनके कर्मकारों की सहायता से

कार्यान्वित किया जाना था। अधिसूचित खनन क्षेत्र के विकास के लिए खदान मालिकों और खानों के पट्टेदारों पर उपकर लगाया गया था। उस उपकर को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ एक शुल्क माना गया था, न कि कर-

"इस प्रकार अधिनियम की योजना से पता चलता है कि उपकर अधिसूचित क्षेत्र में खानों के मालिक व्यक्तियों के वर्ग के खिलाफ लगाया जाता है और यह राज्य सरकार को अधिसूचित खनिज क्षेत्र विकसित करके उक्त वर्ग को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए लगाया जाता है। इस योजना में परस्पर लाभ का तत्व है, एकत्र किए गए उपकर को एक विशिष्ट निधि में गठित किया जाता है और यह समेकित निधि का एक भाग नहीं बन गया है, इसका अनुप्रयोग एक संविधि द्वारा विनियमित होता है और इसके प्रयोजनों तक ही सीमित होता है, और अधिनियम के उद्देश्य और अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक निश्चित संबंध होता है जो अधिसूचित क्षेत्र को सेवा प्रदान करना है।

(21) ठिक्थाई स्वामी और अन्य बनाम हिंदू धर्म एवम धर्मर्थ अक्षय निधि आयुक्त, मैसूर, सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार करने के लिए बुलाया गया था कि क्या उस मामले में लगाए गए शुल्क को शुल्क के रूप में उचित ठहराया जा सकता है। यह लेवी, जो मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1951 का 19) के तहत लगाया गया एक वार्षिक योगदान था, को इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि वे योगदान, जब एकत्र किए जाते हैं, तो एक अलग कोष में जाते हैं, न कि राज्य की समेकित निधि में और विशेष रूप से प्रदान की गई सेवाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा, वे सरकार को देय नहीं थे, लेकिन आयुक्त को देय थे और कर के रूप में नहीं बल्कि केवल शुल्क के रूप में लगाए गए थे। अदालत ने आगे कहा कि -

"शुल्क की प्रकृति में एक लेवी केवल इसलिए उस चरित्र की नहीं होती है क्योंकि इसमें मजबूरी या जबरदस्ती का तत्व मौजूद है, न ही यह एक शुल्क का आधार है कि इसका सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं से सीधा संबंध होना चाहिए। यदि कानून द्वारा एक विशिष्ट सेवा लेवी लगाई जाती है और सेवा को बनाए रखने के लिए व्यय एकत्र की गई राशि से पूरा किया जाता है, तो लेवी और सेवा प्रदान करने के लिए किए गए खर्चों के बीच एक उचित संबंध होने के कारण, लेवी शुल्क की प्रकृति में होगी न कि कर की प्रकृति में। यह सच है कि आमतौर पर एक शुल्क एक समान होता है और अलग-अलग का कोई हिसाब नहीं लिया जाता है; विभिन्न प्राप्तकर्ताओं की क्षमताएं। लेकिन एकरूपता की अनुपस्थिति एक मानदंड नहीं है, जिस पर अकेले यह बी हो सकता है । ई ने कहा कि यह कर की प्रकृति

का है: एक शुल्क एक विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करने के विचार में लेवी होने के नाते, सहसंबंध और लेवी निस्संदेह मौजूद होना चाहिए, लेकिन लेवी को केवल इसकी घटनाओं में एकरूपता की अनुपस्थिति के कारण, या इसके संग्रह में बाध्यता के कारण कर के रूप में नहीं माना जाएगा। न ही इसलिए कि कुछ योगदानकर्ताओं को उसी स्तर की सेवा नहीं मिलती है जितनी दूसरों को मिल सकती है।

(22) कलकत्ता निगम और एक अन्य v. लिबर्टी सिनेमा, कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम, 1951 की धारा 548 (2) के तहत किए गए लेवी की वैधता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए आई और यह माना गया कि संबंधित लेवी सेवाओं के बदले में शुल्क नहीं थी क्योंकि अधिनियम में किसी विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करने का प्रावधान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को लाभ हुआ था जिस पर इसे लगाया गया था। उस स्थिति में, मूल्यांकन के आधार को बदलकर 1958 में लाइसेंस शुल्क 400 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया था और इसे 5 रुपये प्रति सीट तय किया गया था। लेवी को एक कर माना गया था, न कि शुल्क। एक कर के रूप में इसे बहुमत से इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि निगम एक स्वायत्त निकाय था जिसे विभिन्न वैधानिक कार्य करने थे। उन कार्यों के प्रदर्शन के लिए, इसे धन की आवश्यकता थी और करों को एकत्र करने की इसकी शक्ति आवश्यक रूप से उन कार्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता से सीमित थी और यह ऐसी दरों को तय कर सकता था जो इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। दरों को तय करने के लिए निगम की शक्ति के प्रयोग को वैध बनाने के लिए इसे पर्याप्त मार्गदर्शन माना गया था।

(23) रिपोर्ट के पैरा 8 में, प्रदान की गई सेवाओं के लिए 'लाइसेंस शुल्क' और 'शुल्क' के बीच के अंतर को संविधान के अनुच्छेद 110 (2) और 199 (2) के संदर्भ में इंगित किया गया था और यह देखा गया था कि "लाइसेंस शुल्क लगाने के प्रावधान से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि शुल्क केवल प्रदान की गई सेवाओं के लिए होना चाहिए"। "शुल्क" शब्द के संबंध में यह देखा गया कि "यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने अंग्रेजी भाषा में एक कठोर तकनीकी अर्थ प्राप्त किया है जो सेवाओं के बदले में केवल एक लेवी का संकेत देता है", और इसलिए, 'शुल्क' शब्द का उपयोग इस सवाल का निर्णायक नहीं है कि यह सेवाओं के बदले में होना चाहिए और शुल्क प्रदान करने वाले अधिनियम में एक खंड की स्थिति इसकी प्रकृति को निर्धारित नहीं कर सकती है; एक अधिरोपण जो अपनी शर्तों के अनुसार एक कर है, न कि शुल्क, कानून के एक निश्चित भाग में रखे जाने के कारण शुल्क नहीं बन सकता है।

(24) 'कर' के विपरीत 'शुल्क' की आवश्यक विशेषताओं को इंगित करने वाले किसी और मामले पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृषि उपज बाजार अधिनियमों के तहत लगाया गया शुल्क 'शुल्क' है या 'कर' कुछ मामलों में विशिष्ट प्रश्न पर विचार किया गया है जो इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी हैं और अब उनका संदर्भ दिया जा सकता है।

(25) मोहम्मद हुसैन गुलाम मोहम्मद और एक अन्य vs बॉम्बे राज्य और एक अन्य उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने कहा कि बॉम्बे कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम, 1939 के विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन के संबंध में बाजार समिति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क और इसके द्वारा स्थापित विभिन्न बाजारों में विभिन्न सुविधाओं के लिए प्रावधान बिक्री कर की प्रकृति में नहीं था। खरीदी और बेची गई उपज की मात्रा पर शुल्क लेने का तरीका केवल समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए शुल्क वसूलने का एक तरीका था। इस प्रकार लेवी को शुल्क के रूप में बरकरार रखा गया था और यह तर्क कि यह बिक्री कर की प्रकृति में था, को खारिज कर दिया गया था।

(26) बिहार कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम (1960 का 16) के तहत बाजार समिति द्वारा लगाया गया शुल्क शुल्क था या कर, यह विशिष्ट प्रश्न उनके प्रभु के समक्ष विचार के लिए आया - लखन लाई और अन्य vs बिहार राज्य और अन्यमें सुप्रीम कोर्ट के जहाज आदि जिसमें पैरा 7 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं -

पीठ ने कहा, ''वकील ने आगे कहा कि बाजार समिति ने कोई बाजार स्थापित नहीं किया है। काउंसिल के अनुसार, एक बाजार बाजार उपकरण और सुविधाओं के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित साइट होनी चाहिए। यह तर्क धारा 2 (एच) में बाजार की परिभाषा को अनदेखा करता है। बाजार में बाजार उचित और बाजार यार्ड शामिल हैं। बाजार यार्ड अच्छी तरह से परिभाषित बाड़े, इमारतें या इलाके हैं, लेकिन बाजार उचित धारा 2 (के) के तहत धारा 5 (2) (ii) के साथ एक बड़ा क्षेत्र है। बाजार स्थापित करने के लिए नियम 59 (2) के तहत की गई बाजार समिति की सिफारिश पर बाजार की सीमाओं को उचित और बाजार यार्ड तय करने के लिए धारा 5 (2) के तहत एक घोषणा करना पर्याप्त है। धारा 18(1) के अधीन बाजार समिति को बाजार में ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो राज्य सरकार समय-समय पर निदेश दे। यह नहीं दिखाया गया है कि बाजार समिति ने सरकार के किसी भी निर्देश को पूरा करने से इनकार कर दिया है। बाजार समिति, धारा 28 (2) और 30 (आई) के मद्देनजर, बाजार के लिए भूमि और भवनों का अधिग्रहण और स्वामित्व कर सकती है, लेकिन यह हमेशा ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। बाजार की स्थापना धारा 5 (2)

के तहत एक अधिसूचना जारी करने पर की जाती है जिसमें बाजार को उचित और बाजार यार्ड घोषित किया जाता है। अगला विवाद यह है कि बाजार समिति द्वारा लगाए गए शुल्क किस प्रकृति के हैं?

कर के रूप में समिति बाजार के उपयोगकर्ताओं को कोई सेवा प्रदान नहीं करती है और इसलिए शुल्क की लेवी अवैध है। यह तर्क तर्कसंगत नहीं है। बाजार समिति ने एक ऐसे बाजार की स्थापना के लिए कदम उठाया है जहां खरीदार और विक्रेता मिलते हैं और उचित मूल्य पर कृषि उपज की बिक्री और खरीद होती है। अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं को समाप्त कर दिया जाता है, बाजार शुल्क को परिभाषित किया जाता है और अनुचित लोगों को निषिद्ध किया जाता है। लाइसेंस प्राप्त तौलकर्मियों के नियोजन और तराजू, भार और माप के निरीक्षण और वजन और माप उपकरणों के निरीक्षण द्वारा सही तौल सुनिश्चित की जाती है। 'बाजार समिति ने विवादों के त्वरित निपटान के लिए एक विवाद समिति नियुक्त की है। इसने कृषि उपज के स्टॉक, आगमन और पे्रषण के संबंध में दैनिक मूल्यों और सूचनाओं को एकत्र करने और प्रकाशित करने के लिए एक बाजार खुफिया इकाई की स्थापना की है। इसने एक ग्रेडिंग इकाई प्रदान की है जहां कृषि उपज की ग्रेडिंग की तकनीक सिखाई जाती है। खरीद और बिक्री के लिए अनुबंध फॉर्म मानकीकृत है। अधिनियम और नियमों के प्रावधान बाजार समिति द्वारा नियुक्त निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से लागू किए जाते हैं। बाजार समिति द्वारा लिया जाने वाला शुल्क इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उसके द्वारा किए गए खर्चों से संबंधित है। प्रति 100 रुपये मूल्य पर 25 नया बाजार शुल्क और नियम 71 और 73 द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क अत्यधिक नहीं है। बाजार समिति द्वारा एकत्र की गई फीस बाजार समिति निधि का हिस्सा होती है जिसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अलग और निर्धारित किया जाता है। शुल्कों के लिए पर्याप्त लेन-देन है और वे आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्त, मद्रास बनाम मद्रास में निर्धारित शुल्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीर (12)। इन टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिहार अधिनियम और अधिनियम के प्रावधानों के बीच घनिष्ठ संबंध है, जो हमारे समक्ष विचाराधीन है, और उपरोक्त टिप्पणियां इसके प्रावधानों में परिवर्तन लागू करती हैं। उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने अधिनियम की धारा 23 के तहत लेवी को 'शुल्क' माना न कि मैसर्स, राम सरूप और भाइयों के मामले में 'कर'।पंजाब राज्य और अन्य, (21)। रिपोर्ट के पैरा 8 से संबंधित टिप्पणियां निम्नानुसार हैं -

"बाजार शुल्क धारा 23 के तहत एकत्र किया जाता है और बाजार समिति द्वारा प्राप्त अन्य सभी धन का भुगतान (21) आईएलआर (1969) पीबी और एचआर 756 में किया जाता है।

बाजार समिति निधि का उल्लेख अधिनियम की धारा 27 में किया गया है। बाजार समिति निधि में प्राप्त राशि को समिति द्वारा केवल तीन उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा सकता है, अर्थात्; (क) बाजार बोर्ड को अंशदान के रूप में भुगतान के लिए जैसा कि अधिनियम में विनिर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क से प्राप्त आय का ऐसा प्रतिशत है जो बोर्ड की कार्यालय स्थापना के खर्चों और उसके द्वारा किए गए बोर्ड के अन्य खर्चों को बाजार समितियों के हित में वहन करने के लिए किया गया है; (ख) भुगतान के लिए राज्य सरकार किसी विशेष की लागत का वहां नहीं करती।

(ग) अधिनियम के उपबंधों को अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रभावी बनाने के लिए समिति के परामर्श से इसके द्वारा नियोजित कर्मचारी; और (ग) अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित सत्रह प्रयोजनों में से सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए, जिसमें बाजारों के लिए स्थलों का अधिग्रहण और उनका रख-रखाव और सुधार आदि शामिल हैं। एक ओर बाजार-शुल्क की वसूली से बाजार समिति को होने वाली आय और अधिनियम की धारा 27 और 28 में विनिर्दिष्ट मदों पर होने वाले व्यय (जिनमें से सभी को समिति के कार्यों से संबंधित माना जाता है) के बारे में किसी निश्चित सामग्री के अभाव में, दूसरी ओर, इस बारे में कोई निष्कर्ष निकालना असंभव है कि शुल्क की राशि और समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच कोई लेन-देन है या नहीं। हमारे समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी समिति द्वारा संभवतः वसूल की जा सकने वाली बाजार-शुल्क की राशि किसी भी तरह से उन सेवाओं से असंगत प्रतीत नहीं होती है जो धारा 28 में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करके ऐसे शुल्क के निर्धारितियों को प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। हमारी राय में, याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में वास्तव में कोई उचित नींव नहीं रखी गई है, जिस पर वह अपनी ओर से दिए जाने वाले तर्क का निर्माण कर सके। किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैराग्राफ 16 के उप-पैराग्राफ (ix) में लगाए गए अस्पष्ट आरोप को साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है, जिसे पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। जो भी हो, बाजार के रूप में इस मामले में आगे बढ़ना पूरी तरह से व्यर्थ प्रतीत होता है।

100 रुपये मूल्य के माल की बिक्री पर 0.40 पैसे का शुल्क मोहम्मद हुसैन गुलाम मोहम्मद और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर बाजार क्षेत्र को कर नहीं कहा जा सकता है । बॉम्बे

राज्य और एक अन्य (22) और हाल ही में लखन लाई और अन्य मामले में अप्रकाशित निर्णय।बिहार राज्य और अन्य" (रिपोर्ट के बाद से) (23)।

प्रत्येक एक सौ रुपये के लिए चालीस पैसे की दर से शुल्क की वसूली को पूरी तरह से अधिकृत और वैध माना गया क्योंकि यह अधिनियम की धारा 23 में उल्लिखित अधिकतम सीमा के भीतर था।

(27) इन आधिकारिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के लिए यह आग्रह करना व्यर्थ है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत लगाया गया शुल्क। अधिनियम एक 'शुल्क' नहीं बल्कि एक 'कर' है। कृषि विपणन बोर्ड, पंजाब के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हीरा लाई सिब्बल ने यह भी आग्रह किया है कि यदि लेवी को प्रदान की गई सेवाओं के साथ सहसंबंध के आधार पर शुल्क के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है, तो लेवी को आंशिक रूप से शुल्क के रूप में और आंशिक रूप से कर के रूप में माना जा सकता है और इसे इस रूप में बरकरार रखा जाना चाहिए। कलकत्ता के निगम 1 और एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए।लिबर्टी सिनेमा (सुप्रा)। उस मामले में, तथाकथित शुल्क को एक कर माना गया था और कलकत्ता नगर निगम को कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम द्वारा लगाए गए विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर लगाने की शक्ति दी गई थी। विधायिका द्वारा बाजार समितियों को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजस्व जुटाने के लिए कर लगाने की ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। और लिबर्टी सिनेमा के मामले में निर्णय का अनुपात लागू नहीं होता है। मेरे विचार से, अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अनुमत लेवी अनिवार्य रूप से एक शुल्क है और इसे ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड आदि में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित प्रतिपूरक कर के संबंध में तर्क की समानता पर प्रतिपूरक शुल्क भी कहा जा सकता है । राजस्थान राज्य और अन्य (सुप्रा)।बाजार समितियों द्वारा एकत्र किए गए शुल्क की राशि अधिनियम की धारा 27 के तहत गठित बाजार समिति निधि में जाती है और उस निधि का उपयोग उस धारा और धारा 28 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया जाना है।

(28) श्री हीरा लाल सिब्बल ने एक बहुत ही सरल तर्क दिया है लेकिन जो स्वीकार्य नहीं है। उनके अनुसार, कृषि उपज पर शुल्क लगाया जाता है जब इसे खरीदा या बेचा जाता है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि लाइसेंस प्राप्त डीलर, जो कृषि उपज के खरीदार के रूप में शुल्क का भुगतान करते हैं, उनके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क के बदले में किसी भी सेवा के हकदार हैं। कृषि उपज की खरीद या बिक्री केवल शुल्क लगाने की घटना है, न कि कृषि उत्पाद पर शुल्क लगाया जाता है । कृषि उपज शुल्क का भुगतान नहीं

करती है; यह उपज के खरीदार द्वारा देय है और इसलिए, उपज का खरीदार शुल्क का भुगतानकर्ता है और इसके बदले सेवाओं का हकदार है। तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न निर्णयों से, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं: –

एक. कि फीस विभिन्न प्रकार की होती है और एक परिभाषा तैयार करना संभव नहीं है जो सभी मामलों पर लागू होगा। अधिनियम के उद्देश्यों और प्रदान की जाने वाली सेवा के प्रकार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में मामले का निर्णय लिया जाना होगा;

दो. कि शुल्क से संग्रह को सामान्य राजस्व में विलय नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सेवाओं को प्रदान करने के लिए अलग रखा जाना चाहिए और विनियोजित किया जाना चाहिए;

तीन. यह कि शुल्क की राशि का प्रदान की गई सेवाओं की लागत के साथ उचित संबंध होना चाहिए या शुल्क के भुगतानकर्ताओं को प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, एक सटीक सहसंबंध होना असंभव है और इसलिए अपेक्षित सहसंबंध सामान्य चरित्र में से एक है और अंकगणितीय सटीकता का नहीं है; और इस प्रकार एकत्र की गई फीस की राशि को विशेष रूप से शुल्क के भुगतानकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए खर्च नहीं किया जाना है, बल्कि इसका उपयोग अधिनियम के उद्देश्यों या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है जिसके तहत वे लगाए जाते हैं। तथापि, उनका उपयोग उन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है जिनका अधिनियम के मुख्य प्रयोजनों से कोई संबंध नहीं है जिनके लिए शुल्क लगाया जाता है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सचिव, मद्रास सरकार, गृह विभाग और अन्य मामले में बताया गया है।जेनिथ लैंप्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (24), अदालत-शुल्क के संबंध में। उसमें यह कहा गया था कि एकत्र की गई कोर्टफीस को न्याय प्रशासन और उस उद्देश्य के लिए न्यायालयों के रखरखाव के लिए खर्च किया जा सकता है, लेकिन सड़क निर्माण या स्कूलों के निर्माण आदि के लिए नहीं। तर्क की समानता पर यह कहा जा सकता है कि अधिनियम के तहत एकत्र की गई फीस को राज्य के सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है, बल्कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फीस के भुगतानकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए खर्च किया जा सकता है।

इन प्रस्तावों के आलोक में ही हमें यह निर्णय लेना होगा कि क्या इस निर्णय के पूर्व भाग में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों द्वारा किए गए शुल्क में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है और क्या शुल्क इतना अधिक या अनावश्यक नहीं हो गया है कि इसके स्वरूप को शुल्क से कर में बदल दिया जाए।

(29) 5 विधानमंडल की धारा 27क का अधिदेश 1 है कि केट समिति निधि का उपयोग अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या उसके प्रयोजनों के लिए व्यय करने के लिए किया जाना है और उसके बाद शेष किसी भी अतिरिक्त राशि को ऐसे तरीके से निवेश किया जाना है जो निर्धारित किया जाए। प्रत्येक बाजार समिति को अपनी आय का कुछ प्रतिशत कृषि विपणन बोर्ड को देना होता है ताकि बोर्ड की कार्यालय स्थापना के लिए व्यय और उसके द्वारा किए गए ऐसे अन्य खर्चों को आम तौर पर बाजार समितियों के हित में वहन किया जा सके और राज्य सरकार को समिति के परामर्श से नियोजित किसी विशेष या अतिरिक्त कर्मचारी की लागत का भुगतान भी करना होगा। अधिसूचित बाजार क्षेत्र में अधिनियम। अन्य प्रयोजन जिनके लिए बाजार समिति की निधियों को व्यय किया जा सकता है, अधिनियम की धारा 28 में निम्नानुसार उल्लिखित हैं: -

"28. धारा 27 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बाजार समिति की निधियों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा-

(१) बाजार के लिए साइटों का अधिग्रहण;

(२) बाजार का रखरखाव और सुधार;

(३) भवनों का निर्माण और मरम्मत जो बाजार के प्रयोजनों के लिए और इसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं;

(४) मानक भार और माप का प्रावधान और रखरखाव;

(५) वेतन, अवकाश भत्ते, ग्रेच्युटी अनुकंपा भत्ते और अवकाश भत्ते के लिए योगदान, ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप चोटों और मृत्यु के लिए मुआवजा, चिकित्सा सहायता, समिति द्वारा नियोजित व्यक्तियों की पेंशन या भविष्य निधि;

(६) बाजार के प्रयोजनों के लिए उठाए जा सकने वाले ऋणों पर ब्याज का भुगतान और ऐसे ऋणों के संबंध में डूबती निधि के प्रावधान;

(७) संबंधित कृषि उपज के संबंध में फसल सांख्यिकी और विपणन से संबंधित सभी मामलों के बारे में जानकारी का संग्रह और प्रसार;

(८) आश्रय, शेडर पार्किंग आवास और व्यक्तियों के लिए पानी जैसी सुविधाएं प्रदान करना, बाजार में आने वाले या लाए जा रहे मवेशियों को लाने या लाने के लिए या संपर्क मार्गों, पुलियों, पुलों और अन्य ऐसे उद्देश्यों के निर्माण और मरम्मत पर;

(९) कार्यालयों के रखरखाव और समितियों के लेखा परीक्षा में किए गए खर्च;

(१०) कृषि सुधार के पक्ष में प्रचार और; मितव्ययिता;

(११) कृषि उपज का उत्पादन और बेहतरी;

(१२) समिति द्वारा किए गए किसी भी कानूनी खर्चों को पूरा करना;

(१३) विपणन या कृषि में शिक्षा प्रदान करना;

(१४) समिति के सदस्यों और कर्मचारियों को यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान, जैसा कि निर्धारित किया गया है;

(१५) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम;

(१६) चुनावों के लिए खर्च और आनुषंगिक; और

(१७) बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ, कोई अन्य उद्देश्य जिसकी गणना समिति या अधिसूचित बाजार क्षेत्र के सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए गणना किए गए किसी भी उद्देश्य की गणना की जाती है।

(30) यह आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय समितियों का गठन किया गया है; अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने और समय-समय पर शुल्क में वृद्धि मनमाने ढंग से सरकार को अपनी सरकारी गतिविधियों के लिए राजस्व प्रदान करने के लिए की गई थी, हमने बाजार समितियों के साथ-साथ दोनों राज्यों के कृषि विपणन बोर्डों को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पिछले पांच वर्षों के लिए आय और व्यय का विवरण विशेष रूप से उन मदों को दर्शाता है जिनके तहत राशि खर्च की गई थी। उन विवरणों में आय एक रुपये प्रति सौ रुपये की दर से होती है जो उन वर्षों में प्रचलित दर थी। इस निर्देश का अनुपालन कई मामलों में किया गया है जो लेन-देन का निर्धारण करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं क्योंकि लगभग सभी समितियों में खर्च का पैटर्न समान है। मैं पहले हरियाणा की बाजार समितियों और कृषि विपणन बोर्ड के साथ काम करूंगा।

(31) यह पिछले पांच वर्षों के दौरान बाजार समिति, हिसार की आय और व्यय का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है। वर्ष 1969-70 से 1973-74 तक की आय को दर्शाने वाला ब्यौरा निम्नानुसार है -

	मुखिया का नाम	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
1	लाइसेंस शुल्क	13 166-80	150-80	126-35	166 -00	147 -90
2	लाइसेंस शुल्क	10 16,177-03	5,568-00	3,832-00	5,199-00	4,292 -00
3	मार्केट शुल्क	6,1 /,723-33	9,37,125-65	10,53,163-29	9,15,375-42	16,20,936.23
4	संरचना शुल्क	6,145-67	■ 3,458 -60	1,032-85	2,732 -00	1,813-50
5	प्रपत्रों की बिक्री	539 -45		* .	74-00	
•6	सुरक्षा के लिए बैज और	11-00	8-00	15-00	8-00	16-00
	अन्य प्रतिभूतियां	3,335-00	1,520-00	904-00	2,284 -00	81,525-00
7	अन्य विविध आय	3,85,117-52	4,051,12,82	3,05,799-15	39,581 -41	1,48,836-61
8	निवेश पर ब्याज	17,269 -05	34,023 -22	3,16,572-30	9,986-85	5,141 -34
'9	ऋण और अग्रिम		„ . (	1,65,000-00	1,23,725 -00	
10	सस्पेंस a/c			19,448-15	3,600 -00	
11	किराया	630. 00	315-00	280-00	32 -00	
12	Unclassified	1,725-00	••	••	2,752 -60	954-40

उन वर्षों के लिए शीर्ष-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है -

मुखिया का नाम 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74

नहीं।

1 स्थापना 48,641 -49 88,479 -55 94,618.19 96,946-39 1,09,943-37

2 भविष्य निधि 5,076-94 2,975-00 5,847-68 3,610-11 4,642 -12

3 आकस्मिकताएं और सुविधाएं 95,461 -79 1,32,494-61 2,69,493 -71 1,52,873 -50 1,58,174-83

4 ठेकेदारों को प्रतिभूतियों की वापसी 350 -00 6,778 -03 3,784 -00 64,510 -00

5 कार्य 4,87,947 -05 6,60,178 -59 6,51,626-63 6,38,131 -93 11,71,577 -00

6 लेखा परीक्षा व्यय 6,791 -30 43,462 -62

7 यात्रा भत्ता 2,202 -21 3,286-34 4,161 -60 5,900 -37 5,552 -25

8 चिकित्सा सहायता 812-62 1,095-14 1,047-21 570 -26 891 -82

9 27 के तहत योगदान 2,,33,118-76 1,72,211 -34 2,88,603 -75 1,89,707-96 4,15,133 -4

10 फुटकर 11,570-11 12,513 -31

बाजार शुल्क का व्यय वापसी।

और भविष्य निविष्टि।

धन

11 सस्पेंस 17,942-12 5,777 -12

खातों

12 निवेश 1,05.951 -15 3,94,058 -95

सावधि जमा बैंक के साथ और डाकघर

मद संख्या 5 पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा भी निम्नानुसार दिया गया है -

सीनियर।

नहीं। मुखिया का नाम 1969-70 1970-71 1971-72 1972-733 1973-74

1 जमा कार्य

गांव का लिंक

बहुत बढ़िया।

राशि का भुगतान

के साथ जुड़ा हुआ है।

लोक निर्माण

मंत्रालय

हिसार .. 4,54,100-00 5,74,325-00 5,10,000 00 4,40,000-00 9,46,000 कंपनी

2

चारदीवारी

का निर्माण

मॉडल में।

मंडी, हिसार,

कार्यालय-सह-कार्यालय-

रेस्ट हाउस

षड्यंत्र 8,205-81

3 का निर्माण

संपर्क मार्ग

किसके द्वारा किया जाता है?

मार्केट कॉम

मिटी, हिसार 26,594-92 143-19 37,459-22 1,13,943-31 18,278-90

4 वाक्य-रचना

आम बात

मंच पर

बालसमंद

मंडी 4,166-53 38,500-00 6,592-73

5 प्लाओ की मरम्मत

और मंडी गेट 41 -61 91 -29 .. 775 -03

6 पुलिया और

नदी में पुल

के गांव

अधिसूचित बाजार

नहर पर क्षेत्र

जलमार्ग।। 4,402 00 17,500-00 54,908-00 .. 1,474-00

7 की खरीद

सीमेंट के लिए संविधान कार्यालय-सह-विश्राम हाउस और सी. सी. फर्श में

नया मॉडल

मंडी •• •• •• • • 67,585 -13

वरिष्ठ सिर का नाम नं.	1959-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
8 किसान विश्राम गृह में जलापूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक मोटर की फिटिंग	. •	2,008 '52	473 -93		
9 मंडियों के प्रिंसिपल यार्ड में सड़कों और प्लेटफार्म की मरम्मत		54,225 -60	1,864 06		
10 ग्राम गोर्ची गवार जलापूर्ति योजना		1,07,794 -00			
11 का निर्माण					
छायादार पेड़ों के गमले					
नया मॉडल					
मंडी, हिसार	8,598 -05	12,380 -60			
12 किसान विश्राम गृह के लिए इलेक्ट्रिक फिटिंग प्रदान करना		466-14			
13. सब्जी मंडी, हिसार में पीने के पानी के लिए हैंडपंप उपलब्ध कराना		1,022 -75	995 -45		
14 किसान विश्राम गृह की विशेष मरम्मत	3,798-78	16,685 01	4,206-45	627-00	
हिसार की नई मॉडल मंडी में 15 मिट्टी भरने का काम		12,772-06			

बालसमंद मंडी में 16 मिट्टी भरने का काम	2,161-12	40,707-14	8,589 -12	
कुल ..	4,87,947 -05	6,60,178 -59	6,51,626-63	6,38,131 -93	11,71,577 -00

इन कथनों से यह स्पष्ट है कि बाजार शुल्क बाजार समिति की आय का अस्सी प्रतिशत से अधिक है। 'कार्यों' पर खर्च की गई राशि कुल व्यय का लगभग आधा है। "कार्य" शीर्षक के तहत जिस प्रमुख मद पर राशि खर्च की गई है, उसमें जमा राशि शामिल है

लोक निर्माण विभाग, हिसार ने गांव की संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए योगदान के रूप में कार्य किया। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा व्यय के इस मद पर इस आधार पर कड़ी आपत्ति जताई गई है कि सड़कों का निर्माण एक सरकारी कार्य है और लाइसेंस प्राप्त डीलरों से एकत्र किए गए बाजार शुल्क का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। कार्यों का विवरण दिखाने वाले बयान से यह भी स्पष्ट है कि सभी पांच वर्षों के दौरान कुछ संपर्क सड़कों का निर्माण बाजार समिति द्वारा ही किया गया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने व्यय की उस मद के आधार पर कहा कि बाजार समिति द्वारा बनाई गई संपर्क सड़कें अधिनियम की धारा 28 के खंड (viii) में प्रयुक्त 'पहुंच सड़कों' के अर्थ के भीतर आती हैं और लोक निर्माण विभाग, हिसार में ग्राम संपर्क के लिए जमा की गई राशि अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आती है। उत्तरदाताओं की ओर से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि गांव की संपर्क सड़कें भी पहुंच सड़कों के विवरण के भीतर आती हैं और गांवों से बाजारों या बाजार स्थानों तक कृषि उपज के आसान परिवहन की सुविधा के लिए उनका निर्माण किया जाना आवश्यक है, जहां उन्हें लाइसेंस प्राप्त डीलरों को आय का मुख्य स्रोत प्रदान करते हुए खरीदा और बेचा जाता है। किसी भी मामले में, अधिसूचित बाजार क्षेत्र के भीतर सड़कों का निर्माण सार्वजनिक महत्व का काम है और समिति और अधिसूचित बाजार क्षेत्र के सामान्य हित को बढ़ावा देता है जो अधिनियम की धारा 28 के खंड (xvii) में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक है।

(32) उन्होंने कहा कि संपर्क सड़कों के निर्माण पर होने वाला खर्च, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के पास धनराशि जमा की गई थी, पूरी तरह से उचित है क्योंकि यह उत्पादकों, लाइसेंस प्राप्त डीलरों और आम जनता के लाभ के लिए है और अधिसूचित बाजार क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, बिंगीर-रामपुर

कोल कंपनी के मामले [सुप्रा] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपात के अनुसार बाजार क्षेत्र के विकास द्वारा शुल्क के भुगतानकर्ताओं को एक सेवा प्रदान की जाती है। उस मामले में भी, खनन क्षेत्रों के विकास के लिए शुल्क लगाया गया था, हालांकि यह केवल खानों के मालिकों या पट्टेदारों द्वारा देय था, न कि श्रमिकों द्वारा, जबकि विकास कार्यों में सड़कों का निर्माण, बिजली, सीवरेज और जल निकासी और खनन क्षेत्र में अन्य सुविधाओं का प्रावधान शामिल था। यह माना गया कि इस तरह की विकासात्मक गतिविधियों द्वारा शुल्क के भुगतानकर्ताओं को सेवा प्रदान की जा रही थी। चूंकि परिवहन एक बाजार के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और कृषि उपज के उत्पादकों को बिक्री के लिए बाजार स्थानों पर लाने में सक्षम बनाने के लिए, लिंक सड़कों का निर्माण किसका एक अनिवार्य उद्देश्य बन जाता है?

हालांकि, लोक निर्माण विभाग को प्रत्येक बाजार समिति को गांव की संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए प्राप्त राशि का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इस मद के तहत कोई और राशि खर्च करने की आवश्यकता है और क्या उन सभी सड़कों का निर्माण किया गया है जिनके लिए धन का भुगतान किया गया था। सरकार राज्य में मुख्य सड़कें प्रदान करने की अपनी सरकारी गतिविधि को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व के हिस्से के रूप में उस राशि का उपयोग नहीं कर सकती है। बाजार समितियों से प्राप्त राशि को सख्ती से केवल संपर्क मार्गों के निर्माण पर खर्च किया जाना है, न कि मुख्य सड़कों पर। चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा हमारे ध्यान में कोई सामग्री नहीं लाई गई है जो यह दर्शाती है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई संपर्क सड़कों का निर्माण नहीं किया गया था और बाजार समितियों द्वारा जमा की गई राशि का दुरुपयोग या दुरुपयोग किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस उद्देश्य के लिए बाजार समितियों द्वारा अधिक राशि की आवश्यकता नहीं है और बाजार शुल्क में वृद्धि मनमानी या अवांछित है। हालांकि, लोक निर्माण विभाग के पास कोई और राशि जमा करने से पहले, प्रत्येक बाजार समिति को पहले से भुगतान की गई राशि का हिसाब प्राप्त करना होगा और आगे का योगदान केवल तभी करना होगा जब कोई और पहुंच सड़कों का निर्माण आवश्यक हो। मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि धारा 23 केवल लगाए जा सकने वाले शुल्क की अधिकतम राशि निर्धारित करती है और प्रत्येक बाजार समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी और धन की आवश्यकता न होने की स्थिति में कम राशि लगा सकती है। तथापि, शुल्क के रूप में एकत्र की गई राशि को अधिनियम की धारा 27 और 28 में उल्लिखित विभिन्न प्रयोजनों पर खर्च किया जाना है।

(33) धारा 28 के खंड (xiii) में कहा गया है कि विभिन्न बाजार समितियों द्वारा सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को दिए गए दान पर भी आपत्ति उठाई गई थी, न कि विपणन या कृषि में शिक्षा। इस तरह के दान अधिनियम की धारा 28 के भीतर नहीं हैं। सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को समिति या अधिसूचित बाजार क्षेत्र के सामान्य हित को बढ़ावा देने वाला नहीं कहा जा सकता है और न ही उन्हें राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने वाला बताया जा सकता है। जब मैं पंजाब के मामलों पर चर्चा करूंगा तो मैं इस विषय पर विस्तार से बोलूंगा क्योंकि यह मुद्दा सीधे वहां उठा है। यह कहना पर्याप्त है कि विभिन्न बाजार समितियों द्वारा दान पर खर्च की गई राशि, जो शैक्षिक संस्थानों को विपणन या कृषि में शिक्षा प्रदान नहीं करने के लिए दी गई है, पूरी तरह से अलिखित हैं और आगे कोई दान नहीं है; ऐसे संस्थानों को बनाया जाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि मार्केट कमेटी, हिसार ने गांव गोर्छी गवाई के लिए जल आपूर्ति योजना पर 1,07,794 रुपये खर्च किए, जो धारा 28 में उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों द्वारा कवर नहीं है।

अधिनियम के बारे में। यह आपत्ति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि जल आपूत योजनाएं मुख्य रूप से सरकार अथवा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों या जिला परिषदों जैसे स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित हैं। एक गांव के लिए जल आपूर्ति योजना का कृषि उपज के विपणन से कोई संबंध नहीं है, जिसके लिए बाजार स्थापित किए गए हैं। मोटे© तौर पर कहा गया है कि इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य कृषि उपज उत्पादकों को बिचौलियों और मुनाफाखोरों द्वारा शोषण से बचाना और उन्हें अपनी उपज के लिए उचित रिटर्न सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है, जैसा कि मुख्तियार चंद और अन्य मामले में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कहा गया था । विपणन समिति, मलोट मंडी और अन्य, (25)। हिसार मार्केट कमेटी द्वारा किया गया यह व्यय भी अनधिकृत था और अधिनियम के प्रयोजनों से परे था। वर्तमान वर्ष के बजट में मार्केट कमेटी, हिसार द्वारा पंचायत भवन के निर्माण के लिए 6 लाख रुपये का प्रावधान भी अनुचित है। बाजारों में आने वाले उत्पादकों और व्यापारियों के अस्थायी ठहरने के लिए विश्राम गृहों या विश्राम स्थलों का निर्माण उचित होगा, लेकिन संबंधित पंचायतों द्वारा निर्मित पंचायत भवन का निर्माण नहीं किया जाएगा।

(34) हरियाणा की अन्य बाजार समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए बयान समान तर्ज पर हैं और उन पर अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाजार समिति, हिसार एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है। हालांकि, यह बताया गया है कि मार्केट कमेटी, सिरसा ने गांधी पार्क के निर्माण और प्रसूति अस्पताल और आर्य कन्या पाठशाला को दान देने पर कुछ राशि खर्च की। यदि गांधी पार्क बाजार के भीतर है, तो इसका

निर्माण उचित हो सकता है लेकिन मातृत्व अस्पताल और आर्य कन्या पाठशाला को दान अनधिकृत और अधिनियम के उद्देश्यों से बाहर है। ऐसे उद्देश्यों के लिए कोई दान और योगदान नहीं किया जाना चाहिए।

(35) हरियाणा विपणन बोर्ड ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अपनी आय और व्यय का विवरण भी दाखिल किया है जिससे यह स्पष्ट है कि 1,40,94,637-00 रुपये की लागत से चौदह केंद्रों पर खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण किया गया था और उन निर्माणों को पूरा करने के लिए बोर्ड ने 1972-73 में एआरसी से 91 लाख रुपये और 1973-74 में 25 लाख रुपये का ऋण लिया था। हरियाणा राज्य में विभिन्न बाजार समितियों को आधुनिक बनाने के लिए उनमें सुधार करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की एक सूची भी निम्नानुसार दायर की गई है

1. जल आपूर्ति योजनाएं।

दो. उत्पादकों के लिए पीने के पानी के लिए पानी के कूलर के कमरे।

(25) 1964 पी.एल.आर. 836.

तीन. मवेशियों के लिए पानी का कुंड।

चार. उत्पादकों के लिए स्नान और कपड़े धोने की सभी व्यवस्थाओं के साथ सार्वजनिक शौचालय।

पाँच. सार्वजनिक मूत्रालय।

छः. गेट, चेक-पोस्ट और प्राथमिक चिकित्सा चौकी।

सात. आम प्लेटफार्मों पर सीमेंट कंक्रीट / लाल पत्थर का फुटपाथ।

आठ. मवेशी शेड।

नौ. गाड़ियों और अन्य वाहनों के लिए पार्किंग स्थल।

दस. पक्की सड़कें।

ग्यारह. मंडियों में पृथ्वी का काम, सतह की ड्रेसिंग, पृथ्वी को भरना और समतलकरना, आदि।

बारह. मौजूदा इमारतों में विशेष मरम्मत, परिवर्धन और परिवर्तन।

तेरह. दुकानों के सामने पक्के थेरा।

चौदह. मंडियों में स्ट्रीट लाइट।

पंद्रह. पुलों का वजन करें।

सोलह. बड़े गोदाम।

सत्रह. कार्यालय भवन।

अठ्ठारह. किसान विश्राम गृह।

उन्नीस. (ए) सचिव (बी) अन्य अधिकारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर।

बीस. पेड़ और पार्क ों का रोपण।

इक्कीस. दर प्रदर्शन टॉवर।

बाईस. अग्निशमन स्टेशन।

तेईस. कैनटीन।

चौबीस. पुस्तकालय।

पच्चीस. ग्रेडिंग प्रयोगशाला।

छब्बीस.बैंक और डाक और टेलीग्राफ कार्यालय के लिए आवास।

सत्ताईस. कृषि मशीनरी की मरम्मत के लिए कृषि उद्योग यार्ड

और वाहन,

अठ्ठाईस. मनोरंजन सुविधाएं।

उन्तीस. प्रसंस्करण इकाइयाँ।

तीस. सीवरेज और जल निकासी।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने सूची में केवल आइटम नंबर 26 पर आपत्ति जताई है। बैंक और डाक और टेलीग्राफ के लिए आवास

कार्यालय". मेरे विचार से, आपत्ति अर्थहीन है क्योंकि डीलरों के साथ-साथ बाजारों में आने वाले अन्य व्यक्तियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए एक बैंक और एक डाक और तार कार्यालय का प्रावधान आवश्यक है। समझा जाता है कि उल्लिखित जलापूर्ति योजनाएं बाजारों के लिए हैं, न कि प्रत्येक बाजार समिति के अधिसूचित बाजार क्षेत्र में स्थित गांवों के लिए। गांवों के लिए जल आपूर्ति योजनाओं पर बाजार समिति द्वारा कोई खर्च नहीं किया जा सकता है।

(36) हरियाणा विधानसभा ने पंजाब कृषि उत्पाद बाजार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम (1973 का 21) द्वारा बोर्ड को बाजार समितियों द्वारा योगदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 27 में संशोधन किया है ताकि बोर्ड को बाजार समितियों द्वारा योगदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं -

सामने के बाद

— संशोधन प्रक्रिया संशोधन प्रक्रिया

(i) यदि समिति की वार्षिक आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं है। 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत

(ii) यदि किसी समिति की वार्षिक आय पहले 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये से अधिक है 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत

अगले 5,000 रुपये या उसके पी 1 आर्ट पर 15 प्रतिशत 25 प्रतिशत

शेष आय पर 20 प्रतिशत 30 पी 'ईआर सेंटम'।

चूंकि अधिनियम की धारा 23, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है, केवल अधिकतम सीमा निर्धारित करती है जिसके भीतर बाजार समितियां, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त डीलरों से वसूल किए जाने वाले शुल्क को निर्धारित कर सकती हैं, इसलिए अधिकतम शुल्क की राशि को बढ़ाने के लिए विभिन्न अधिनियमों द्वारा किए गए उस धारा के संशोधनों को निरस्त करना संभव नहीं है। बाजार समितियों के सुधार के लिए शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं और पहले से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए आवश्यक धन को देखते हुए

गोदामों का निर्माण, दो रुपये प्रति एक सौ रुपये की दर से शुल्क वसूलना उचित और व्यवस्थित माना जाता है। इस समय किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(37) (हालांकि, पु राज्य में एनथेकमार्केटएनआर समितियों का मामला अलग है। जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, उन्हें विधायिका द्वारा अधिनियम की धारा 23 में निर्धारित शुल्क लेना होगा। लचीलेपन की कोई गुंजाइश नहीं है। शुल्क की राशि विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है और यह प्रत्येक बाजार समिति पर नहीं छोड़ा गया है कि वह निर्धारित सीमा के भीतर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शुल्क लगाए। इसलिए यह देखना होगा कि क्या पंजाब सरकार द्वारा फीस में की गई वृद्धि उचित है। पंजाब राज्य से संबंधित विभिन्न याचिकाओं में यह कहा गया है कि बाजार समितियां हर महीने लाखों रुपये एकत्र कर रही हैं और कृषि विपणन बोर्ड करोड़ों रुपये एकत्र कर रहा है और इस प्रकार उनके पास बड़ी रकम है जो शुल्क के भुगतानकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने या अधिसूचित बाजार क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च नहीं की गई है। लेकिन फरीदकोट में हाल ही में स्थापित गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज को एक करोड़ रुपये का दान देने के लिए इस राशि का दुरुपयोग किया गया है। जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, 22 मई, 1969 से शुल्क एक रुपये प्रति एक सौ रुपये के रूप में निर्धारित किया गया था, और उसके बाद शुल्क की राशि 30 अप्रैल, 1973 से बढ़ाकर एक रुपये पचास पैसे प्रति सौ रुपये और 30 अप्रैल से दो रुपये पच्चीस पैसे कर दी गई थी। 1974. इन मामलों में भी कुछ बाजार समितियों और कृषि विपणन बोर्ड ने पिछले पांच वर्षों के दौरान आय और व्यय का विवरण दाखिल किया है। पंजाब सरकार ने भी पंजाब विकास विभाग की अवर सचिव श्रीमती शांत भूपिंदर सिंह के हलफनामे के रूप में अपना रिटर्न दाखिल किया है। उनके हलफनामे में यह कहा गया है कि-

पंजाब के वित्त मंत्री ने 27 फरवरी, 1974 को विधानसभा में अपने बजट भाषण में खुलासा किया था कि सरकार ने बाजार शुल्क की दर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और लिंक सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए एकत्र किए गए अतिरिक्त धन का उपयोग दूर-दराज के गांवों से उपज लाने के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया है।

चूंकि विधानसभा बिना पारित हुए स्थगित हो गई। संशोधन अधिनियम, अध्यादेश को प्रख्यापित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और उस अध्यादेश को तब से एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(38) फरीदकोट में गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए श्रीयू गुरुई गोबिंद एस एजुकेशन ट्रस्ट को दिए गए योगदान के संबंध में, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा यह कहा गया है कि-

उन्होंने कहा, "फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज को अभी तक लगभग एक करोड़ रुपये नहीं दिए गए हैं, जबकि बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड और विभिन्न बाजार समितियों द्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट को दी जाने वाली राशि के संबंध में मंजूरी मिल गई है।

पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सचिव ने अपने हलफनामे के साथ सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष को 22 अक्टूबर, 1973 को जारी पत्र की एक प्रति संलग्न की है, जो फरीदकोट में गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रति योगदान विषय पर है। इस पत्र की सामग्री को विस्तार से निर्धारित करना आवश्यक है। यह निम्नानुसार है: –

"पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 28 (xvii) और 26 (xvii) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाजार समितियों और पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट को नीचे निर्धारित दरों पर किए गए योगदान की घोषणा की है। अपने संबंधित निधियों पर एक उपयुक्त और वैध प्रभार के रूप में:-

(१) पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड 30,00,000 रुपये;

(२) 15 लाख रुपये से अधिक आय वाली 15 समितियों का विवरण अनुलग्नक 'ए' में 2,31,000 रुपये प्रति समिति के हिसाब से दिया गया है।

(३) 10 से 15 लाख रुपये के बीच आय वाली 9 समितियां 1,35,000 रुपये प्रति समिति के हिसाब से अनुबंध 'बी' में दी गई हैं।

(४) 5 से 10 लाख के बीच आय वाली 34 समितियों का विवरण अनुलग्नक 'सी' में 54,000 रुपये प्रति समिति के हिसाब से दिया गया है।

(५) 5 लाख रुपये से कम आय वाली 34 समितियों का विवरण

अनुलग्नक 'डी' में 14,500 रुपये प्रति समिति है।

यदि विपणन बोर्ड/मार्केट समिति के वित्त वर्ष 1973-74 के दौरान ऊपर निर्धारित दर पर संपूर्ण योगदान की अनुमति नहीं देते हैं, तो वे 2 किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, पहली किस्त 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए और अगली किस्त अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में दी जानी चाहिए। बशर्ते कि विपणन बोर्ड, यदि

उसके वित्त की स्थिति की आवश्यकता है, तो 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान कर सकता है, पहली किस्त का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए।

तीन. यह मंजूरी जनहित में एक बहुत ही विशेष मामले के रूप में जारी की जा रही है और इसे अन्य योगदानों के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

इस पत्र से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य में बाजार समितियों और राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा फरीदकोट में गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए श्री गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट को योगदान देने का निर्देश दिया गया है। विपणन बोर्ड या बाजार समितियों के सचिव के शपथ पत्र में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उन्होंने उस न्यास में अपने अंशदान की स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। पत्र की भाषा से पता चलता है कि सरकार ने स्वयं प्रत्येक बाजार समिति और कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किए जाने वाले योगदान की राशि निर्धारित की है, चाहे इसके वित्त की अनुमति हो या नहीं। यह आदेश जनहित में धारा 26 और 28 के खंड (xvii) के तहत जारी किया गया था। अब यह निर्णय लिया जाना है कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति है कि वह बाजार समितियों और विपणन बोर्ड को किसी भी संस्था को ऐसा कोई योगदान करने का निर्देश दे। खंड (xvii) धारा 26 और 28 में लगभग समान है। पूर्व खंड उन उद्देश्यों से संबंधित है जिनके लिए विपणन विकास निधि का उपयोग किया जाना है, जबकि धारा 28 उन उद्देश्यों को गिनाती है जिनके लिए बाजार समिति के धन खर्च किए जा सकते हैं। विपणन विकास निधि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाए रखा गया फंड है जबकि बाजार समिति निधि बाजार समितियों द्वारा बनाए रखा जाता है। धारा 26 का खंड (xvii)। 1962 के पंजाब अधिनियम 23 द्वारा संशोधित किए जाने से पहले, निम्नानुसार पढ़ा जाता है: –

"राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ 26 (xvii)। कोई अन्य उद्देश्य जिसकी गणना बोर्ड और समितियों के सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है।

उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा "या राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित" शब्द जोड़े गए थे। संशोधन से पहले धारा 28 का खंड (xvii) निम्नानुसार पढ़ा गया था: –

"बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के साथ 28 (xvii), कोई अन्य उद्देश्य जिसकी गणना समिति या अधिसूचित बाजार क्षेत्र के सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है"।

और संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए हैं:-

"या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, राष्ट्रीय या सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गणना किए गए किसी भी उद्देश्य की गणना की जाती है।

इन खण्डों में संशोधन करने की आवश्यकता, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, निम्नानुसार थी -

"धारा 26 और 28 उन उद्देश्यों को गिनाती है जिनके लिए विपणन विकास निधि और एक बाजार समिति निधि क्रमशः राज्य कृषि विपणन बोर्ड और एक बाजार समिति द्वारा खर्च की जा सकती है। इन धाराओं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य विपणन बोर्ड या बाजार समिति को बाढ़ जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न संकट की राहत के लिए योगदान करने या राष्ट्रीय आपदा के संबंध में उठाए गए कोष में योगदान करने के लिए अधिकृत करता हो।

यह अच्छी तरह से तय है कि अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निर्माण के लिए प्रत्यक्ष सहायता नहीं हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग मूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करके अधिनियमन के उद्देश्य का पता लगाने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए यह उल्लेख किया जा सकता है कि अक्टूबर, 1962 में, चीन ने भारत पर आक्रमण किया और आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। देश के विभिन्न भागों में बार-बार सूखा और बाढ़ भी आती थी और धारा 26 और 28 के खंड (xvii) में संशोधन इस दृष्टि से किया गया था कि बाजार समितियां और राज्य विपणन बोर्ड सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले संकट को कम करने और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्र की सहायता करने के लिए कुछ योगदान दे सकें। मेडिकल कॉलेज की स्थापना अधिनियम की धारा 26 और 28 के खंड (xvii) के दायरे में नहीं आती है। जिस तरह से 22 अक्टूबर, 1973 को पत्र जारी किया गया था?

पंजाब सरकार स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पंजाब सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट के बच्चे को गोद लिया और इसके पालक पिता बन गए, लेकिन अपने स्वयं के राजस्व से योगदान करने के बजाय, उसने बाजार समितियों और विपणन बोर्ड को इस तरह के योगदान करने का आह्वान किया। बाजार समितियों और कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिस शिक्षा के लिए बाजार समिति निधि और विपणन विकास निधि खर्च की जा सकती है, वह विपणन या कृषि से संबंधित होनी चाहिए न कि किसी अन्य प्रकार की शिक्षा से। इसलिए, पत्र जारी करना पूरी तरह से अनधिकृत था और पंजाब सरकार ने बाजार समितियों और कृषि विपणन बोर्ड को ऐसे योगदान करने के लिए मजबूर किया जो अधिनियम के उद्देश्यों के पूरी तरह से बाहर थे और इसलिए,

अनधिकृत और असंवैधानिक थे। बाजार समितियां और कृषि विपणन बोर्ड श्री गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट को गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कोई योगदान नहीं दे सकते हैं। मेरी यह भी राय है कि राज्य सरकार के लिए यह खुला नहीं है कि वह किसी निश्चित संस्था या परियोजना को सार्वजनिक महत्व के रूप में नामित करे और बाजार समितियों और विपणन बोर्ड को उसमें अनिवार्य योगदान करने का निर्देश दे। राज्य सरकार को सलाह दी जाएगी कि वह कृषि विपणन बोर्ड और बाजार समितियों को इस अनधिकृत प्रयोजन के लिए उनकी निधियों के दुरुपयोग के लिए प्रतिपूत करे।

(39) इस पृष्ठभूमि में शुल्क को एक रुपये पचास पैसे से बढ़ाकर दो रुपये और पच्चीस पैसे प्रति एक सौ रुपये करने का महत्व बढ़ जाता है। बाजार समितियों और कृषि विपणन बोर्ड को अक्टूबर, 1973 में ये भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव फरवरी, 1974 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आया था। इसलिए यह लिंक स्थापित किया जाता है कि फरीदकोट में गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए योगदान करने के लिए मजबूर करके अपने धन को कम करने के बाद, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाजार समितियों को अधिक धन प्रदान करना था। 1 अप्रैल, 1973 को कृषि विपणन बोर्ड के हाथ में प्रारंभिक शेष राशि 20,13,921.00 रुपये थी और वर्ष 1973-74 के दौरान आय 1,75,84,151.00 रुपये थी, इस प्रकार वर्ष 1973-74 के दौरान कृषि विपणन बोर्ड को उपलब्ध राशि 1,95,98,074-00 रुपये थी। वर्ष के दौरान श्री गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट को 10 लाख रुपये के दान सहित व्यय 1,13,39,468-00 रुपये था, जिससे अधिक का अधिशेष बच गया।

बोर्ड के पास 82 लाख रुपये हैं। बोर्ड ने बाजार समितियों के लिए आगे विकास कार्यों के निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की है, जिस पर शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता के कारण राशि खर्च की जानी है, जैसा कि हरियाणा विपणन बोर्ड द्वारा किया गया है।

(40) प्रस्तुत किए गए स्टेटमेंट; वर्ष 1969-70 से 1973-74 के दौरान अपनी आय और व्यय के संबंध में, जिसे एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, से पता चलता है कि इन पांच वर्षों के दौरान बाजार समिति की कुल आय 54,55,740.91 रुपये थी, जबकि व्यय 44,45,485-84 रुपये था, जिससे लगभग 10 लाख रुपये का अधिशेष बचा था। व्यय में से, विपणन बोर्ड को किया गया योगदान 11,95,209-03 रुपये था। संपर्क सड़कों पर खर्च की गई राशि 28,47,552-54 रुपये थी। इस प्रकार मुख्य व्यय विपणन बोर्ड में योगदान और लिंक सड़कों के निर्माण पर था। इस समिति ने 1970-71 में तीन कॉलेजों को 58,000-00 रुपये, 1971-72 में एक कॉलेज को 50,000-00 रुपये और 1973-74 में कॉलेजों को 1,70,000-00 रुपये

का दान दिया और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को दान देना इस बाजार समिति के साथ एक नियमित विशेषता थी। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट को 1,35,000-00 रुपये का दान दिया गया, जैसा कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर, 1973 के अपने पत्र में निर्देश दिया था। शैक्षिक संस्थानों को दिए गए ये दान पूरी तरह से अनधिकृत हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट राज्य सरकार के निर्देशों के तहत कृषि विपणन बोर्ड और बाजार समितियों से एक करोड़ रुपये का लाभार्थी बन गया, जिससे इन योगदानों को संभव बनाने के लिए शुल्क के भुगतानकर्ताओं पर अधिक बोझ डाला जा रहा है। इसलिए, मेरा विचार है कि पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश (1974 की संख्या 4), जिसे बाद में पंजाब कृषि उत्पाद बाजार (संशोधन) अधिनियम (1974 का 13) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, द्वारा शुल्क को एक रुपये पचास पैसे से बढ़ाकर दो रुपये और पच्चीस पैसे प्रति एक सौ रुपये करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि शुल्क के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मद्रास सरकार के सचिव बनाम मद्रास सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा कहा गया है । ज़ैनिथ लैंप्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (सुप्रा)। वह मामला अदालत-फीस के मामले से संबंधित था और यह बताया गया था कि-

"अदालतों में ली जाने वाली फीस और प्रविष्टि 66 सूची 1 में उल्लिखित शुल्क एक ही तरह के हैं। वे किससे भिन्न हो सकते हैं?

एक-दूसरे को केवल इसलिए क्योंकि वे अलग-अलग विषय मामलों से संबंधित हैं और विषय वस्तु यह तय कर सकती है कि किस तरह के शुल्क आसानी से लगाए जा सकते हैं, लेकिन समग्र सीमा यह है कि सामान्य राजस्व की वृद्धि के लिए शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई राज्य सड़क निर्माण या स्कूलों के निर्माण के लिए धन प्रदान करने के उद्देश्य से अदालत की फीस को दोगुना करता है, तो अधिनियमन को शून्य माना जाएगा।

ऊपर उल्लिखित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, मैं इस बात से सहमत हूं कि शुल्क की राशि को एक रुपये पचास पैसे से बढ़ाकर दो रुपये और पच्चीस पैसे प्रति सौ रुपये करना वास्तविक नहीं था और यह बाजार समितियों और कृषि विपणन बोर्ड को फरीदकोट में गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में योगदान करने के लिए निर्देशित राशि की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया गया था। बाजार समितियों के पास पर्याप्त आय थी और वे शुल्क की मात्रा से अपनी वैध आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे जो वृद्धि से पहले

प्राप्त किए जा रहे थे। बाजार समितियों अथवा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए शुल्क को एक रुपये पचास पैसे से बढ़ाकर दो रुपये पच्चीस पैसे करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह वृद्धि और कुछ नहीं बल्कि बाहरी उद्देश्यों के लिए धन जुटाने की दृष्टि से शुल्क लगाने की शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है जो अधिनियम द्वारा अभिप्रेत नहीं है और पंजाब कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश (1974 का नंबर 4) और (संशोधन) अधिनियम (1974 का 13) को रद्द किया जाना है। 1972 के पंजाब अधिनियम 28 द्वारा शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर एक रुपये पचास पैसे करने को अधिनियम की धारा 26 और 28 में उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित माना जाता है और इसे बरकरार रखा जाता है। तथापि, संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए पंजाब लोक निर्माण विभाग के पास जमा की गई राशि के संबंध में, बाजार समितियों को इस प्रयोजन के लिए और राशि जमा करने से पहले खातों की मांग करनी चाहिए, जैसा कि हरियाणा की बाजार समितियों के मामले में इस तरह के व्यय से निपटने के दौरान ऊपर कहा गया है।

(41) याचिकाकर्ता ने पंजाब कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 29(1) की वैधता को भी चुनौती दी है, जो निम्नानुसार है:-

"धारा 23 के तहत एक समिति राज्य में लाइसेंसधारियों द्वारा खरीदे या बेचे गए कृषि उपज पर शुल्क लगाएगी।

समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर अधिसूचित बाजार क्षेत्र:

बशर्ते कि एक ही अधिसूचित बाजार क्षेत्र में एक ही कृषि उपज पर एक से अधिक बार ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस तरह के शुल्क की एक सूची संबंधित समिति के कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

इस आधार पर कि राज्य सरकार ने अपने स्वयं के विधायी कार्य एक अधीनस्थ प्राधिकरण अर्थात् कृषि विपणन बोर्ड को सौंप दिए हैं, जो इस सर्वविदित कानूनी सिद्धांत के विरुद्ध है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि ^या तो अधिनियम की धारा 23 की भाषा और न ही अधिनियम की धारा 43 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति बोर्ड को बाजार समितियों द्वारा प्रभारित बाजार शुल्क तय करने का अधिकार प्रदान करने की अनुमति देती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, धारा 43 (2) (vii) अधिसूचित बाजार क्षेत्र में लाइसेंसधारियों द्वारा खरीदे या बेचे

गए कृषि उपज के संबंध में एक समिति द्वारा लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने और उसके तरीके और आधार को निर्धारित करने के लिए निर्धारित करती है और प्रत्येक शुल्क की राशि निर्धारित करने के लिए बोर्ड को ऐसी कोई शक्ति नहीं देती है। बाजार समिति को कर लगाना चाहिए। जवाब में, प्रतिवादियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि यह राज्य सरकार या कृषि विपणन बोर्ड को दूसरे प्रतिनिधिमंडल द्वारा विधायी कार्यों के अत्यधिक प्रत्यायोजन का मामला नहीं है, बल्कि नियम 29 केवल बोर्ड को अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर शुल्क की एक समान दर निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। अधिनियम के उद्देश्य। ऐसी शक्ति के अभाव में, प्रत्येक समिति अपने लिए शुल्क की राशि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसके परिणामस्वरूप पड़ोसी बाजारों में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा हो सकती है और निवेशकों और खरीदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मुझे उत्तरदाताओं की इस दलील में काफी बल < मिलेगा। विपणन बोर्ड के पास राज्य की सभी बाजार समितियों पर पर्यवेक्षण की शक्ति है और समितियों के समुचित कार्यकरण के लिए, यह आवश्यक हो सकता है कि सभी समितियों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले शुल्क की एक समान दर निर्धारित की जाए और इसे प्रत्येक समिति के विवेक या मधुर इच्छा पर छोड़ दिया जाए। समान शुल्क लगाने से समिति को अधिनियम के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

उनके लिए उपलब्ध, इस नियम की वैधता को चुनौती, इसलिए, विफल हो जाती है।

(42) जहां तक पंजाब राज्य का संबंध है, राज्य में सभी समितियों के लिए कृषि विपणन बोर्ड द्वारा शुल्क की दर निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विधायिका ने स्वयं प्रभारित की जाने वाली दर निर्धारित कर दी है।

(43) कोई अन्य दलील नहीं दी गई है,

(44) उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हरियाणा की बाजार समितियों से संबंधित 127 रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं लेकिन पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। पंजाब की बाजार समितियों के संबंध में 84 रिट याचिकाएं केवल इस हद तक स्वीकार की जाती हैं कि पंजाब कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश (1974 का नंबर 4), जिसे पंजाब कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम (1974 का 13) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, को रद्द कर दिया जाता है। अन्य सभी मामलों में, याचिकाओं को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा